RAMESH KUMAR
Member of Parliament
(Lok Sabha)

713 A/B, Pocket-II,
Paschim Puri,
New Delhi - 110063
Phone : 23713222
25215466

OFFICE OF UDM
Dy. No. 4684
Date 28/12/11

May K. be examined & put up expeditiously with reply.
PS to UDM

27th December, 2011

PS to UDM

Dear Shri Kamal Nath Ji,

Please find enclosed copies of representations from Shri Ram Singh Netaji, MLA from Badarpur Assembly and Municipal Councillors as well as RWAs from the area requesting for re-classification Meethapur and Jaitpur Wards from 'O' Zone to 'F' Zone for your sympathetic consideration and necessary action.

I have carefully gone through the representations and fully share their views regarding the situation of the abovesaid Meethapur and Jaitpur and adjoining unauthorized colonies (which have been issued Provisional Certificate of Regularisation and are in the process of being regularized) much far away from the Yamuna River which are located at a distance ranging from 3 to 6 kms. from it. In fact, villages of Haryana are in existence between these villages and River Yamuna. On the other hand, the colonies which are within 1 km. from the River Yamuna like Gandhi Nagar, Laxmi Nagar and Shakarpur have been shown in Zone 'P'. As such, there is imperative need for change in the re-classification of the Zone of the abovesaid villages i.e. Meethapur, Jaitpur and their adjoining unauthorized colonies from Zone 'O' to Zone 'F'.

Considering the fact that Meethapur and Jaitpur are located at a distance ranging from as much as 3 kms. to 6 kms. from the River Yamuna, these villages and their adjoining colonies are located in Badarpur Assembly area which has been classified in 'F' Zone. Being in contiguity of Badarpur, they rightly deserve to be reclassified from Zone 'O' to Zone 'F' Zone which will be in conformity with the universal accepted practice of classifying contagious areas in one Zone. This will also provide the much needed relief to the lakhs of poor people living in the abovesaid villages and colonies as a matter of equity and fair play.

In view of the position explained above I request you to kindly exercise your good offices for issuing necessary instructions to the concerned officials of DDA for re-classification of Meethapur, Jaitpur and their adjoining unauthorized colonies in Badarpur Assembly from Zone 'O' to Zone 'F' as a token of our concern for the welfare of lakhs people belonging to economically weaker sections of the society living in the abovesaid villages and adjoining unauthorized colonies.

I sincerely hope that the matter would receive your rightful consideration on priority basis.

With respectful regards,

Yours sincerely,

(Ramesh Kumar)

Shri Kamal Nath,
Minister of Urban Development,
Govt. of India,
New Delhi

Encls. : As above

रामसिंह नेताजी
RAM SINGH NETAJI

सत्यमेव जयते

सदस्य, दिल्ली विधान सभा
नेता, विधायक दल (बसपा)
सदस्य, दिल्ली जल बोर्ड
MLA, DELHI
Leader, Legislative Party (BSP)
Member, Delhi Jal Board

D.O..2325..dated 27.12.2011

श्री कमलनाथ जी,
माननीय शहरी विकास मंत्री,
भारत सरकार,
निर्माण भवन, नई दिल्ली।

विषयः- मास्टर प्लान 2021 में दिल्ली विकास प्राधिकरण के द्वारा मेरे विधानसभा क्षेत्र के कुछ हिस्से को ओ जोन (Zone O) से निकालकर एफ जोन (Zone F) में डाले जाने हेतू निवेदन।

श्रीमानजी,

इस पत्र के माध्यम से आपसे मेरा विनम्र निवेदन है कि दिल्ली विकास प्राधिकरण के द्वारा तैयार किये गये दिल्ली मास्टर प्लान 2021 में मेरे विधानसभा क्षेत्र के मीठापुर वार्ड व जैतपुर वार्ड को जोन ओ (Zone O) मतलब यमुना नदी का अग्रभाग घोषित किया गया है, जो कि सरासर गलत है।

माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा यमुना बैड या यमुना नदी की धारा से दोनो ओर 300 मीटर के क्षेत्र में आ रहे इलाके को ही यमुना नदी का हिस्सा माना है व इस क्षेत्र के संरक्षण पर जोर दिया है। भविष्य में यमुना नदी के बेहतर संरक्षण हेतू हमें वो इलाका ही ओ जोन में घोषित करना चाहिए, जिसे हम बेहतर ढंग से संरक्षित कर सके। जिसमें हम ज्यादा पेड़ लगाकर और उसे आबादी मुक्त रख सकें, ना कि अनाधिकृत कालोनियाँ व ग्रामीण या शहरीकृत गांव को इस इलाके में डालना चाहिए। इससे भविष्य में हमें यमुना नदी के संरक्षण में दिक्कत आऐगी। इसीलिये ओ जोन के लिये 300 मीटर के दायरा सर्वथा उचित है।

श्रीमानजी, मेरे विधानसभा क्षेत्र के मीठापुर वार्ड व जैतपुर वार्ड को दिल्ली विकास प्राधिकरण के द्वारा दिल्ली मास्टर प्लान 2021 में ओ जोन (Zone O) घोषित किया गया है उसमें जैतपुर गांव, हरीनगर गांव व मीठापुर गांव लाल डोरे के गांव हैं व इसके अलावा लगभग 50 अनाधिकृत कालोनियां जो दिल्ली सरकार की 1639 की सूची में सूचीबद्ध हैं, शामिल हैं व यहां कि आबादी लगभग 4 लाख से भी ज्यादा है। इस क्षेत्र को ओ जोन में शामिल करने से क्षेत्र के निवासियों में बेहद रोष व्यापत है।

नहरपार के इस क्षेत्र को ओ जोन (Zone O) में शामिल करने से हमें कई सरकारी विकास कार्यो में बाधा आ रही है। जिसमें इतनी बड़ी आबादी के लिये मीठापुर में बनने वाला 60 बिस्तरों का दिल्ली सरकार का जच्चा बच्चा अस्पताल, जैतपुर में बनने वाले 5वीं कक्षा तक के विद्यालय, जैतपुर में

222-C, BADARPUR, NEW DELHI-110044, TEL : 011-65802545, 9810820054, 9899250025

रामसिंह नेताजी
RAM SINGH NETAJI

सत्यमेव जयते

सदस्य, दिल्ली विधान सभा
नेता, विधायक दल (बसपा)
सदस्य, दिल्ली जल बोर्ड
MLA, DELHI
Leader, Legislative Party (BSP)
Member, Delhi Jal Board

बनने वाले दिल्ली जल बोर्ड के मिनी वाटर सीवर ट्रीटमेंट प्लांट, इस पूरे क्षेत्र के लिये पुलिस स्टेशन की बिल्डिंग व ऐसी ही कई योजनाऐं हैं जो कि दिल्ली विकास प्राधिकरण के द्वारा इस क्षेत्र को जोन ओ (Zone O) में डाले जाने की वजह से अधर में लटक गई हैं।

मेरा विधानसभा क्षेत्र यमुना फ्रन्ट पर नहीं आता, अपितु मेरे विधानसभा क्षेत्र के बाद हरियाणा की कुछ अनाधिकृत कालोनियों के अलावा बसन्तपुर गांव, ईस्मायलपुर गांव, अगवानपुर गांव व सेहतपुर गांव की आबादी आती है व कुछ सैक्टर भी आते है, उसके बाद कहीं यमुना नदी बहती है।

दिल्ली विकास प्राधिकरण के द्वारा मास्टर प्लान 2021 में यमुना नदी के किनारे बसी गांधी नगर, लक्ष्मी नगर व शकरपुर के इलाके को पी. जोन (Zone P) में रखा है, जबकि यह ईलाका यमुना नदी से 1 किलोमीटर के दायरे में आता हैं परन्तु मेरे क्षेत्र की वो कालोनियाँ जो यमुना फ्रन्ट पर भी नहीं है, अपितु उनके व यमुना नदी के बीच में हरियाणा की पूरी आबादी बसी हुई है, जिसमें गांव, सैक्टर व कालोनियाँ शामिल हैं, व यमुना नदी से 3 से लेकर 6 किलोमीटर दूर हैं, उनको भी यमुना फ्रन्ट बताकर जोन ओ (Zone O) में शामिल किया गया हैं, जो कि सरासर गलत है। दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा, आगरा नहर के साथ साथ प्रस्तावित कालिन्दी कुंज-पल्ला बाई पास को ओ-जोन की सीमा रेखा, बनया गया है।

अतः श्रीमान जी से मेरा निवेदन है कि कृपया मेरे क्षेत्र के मीठापुर व जैतपुर वार्ड को ओ जोन से हटाकर एफ जोन में डालने की कृपा करे। हम आपके सदैव आभारी रहेंगें।

आपका अपना,

(रामसिंह नेताजी)

222-C, BADARPUR, NEW DELHI-110044, TEL : 011-65802545, 9810820054, 9899250025

रामसिंह नेताजी
RAM SINGH NETAJI

सत्यमेव जयते

सदस्य, दिल्ली विधान सभा
नेता, विधायक दल (बसपा)
सदस्य, दिल्ली जल बोर्ड
MLA, DELHI
Leader, Legislative Party (BSP)
Member, Delhi Jal Board

D.O. 2146 dated 13.11.2011

श्री कमलनाथ जी,
माननीय शहरी विकास मंत्री,
भारत सरकार,
निर्माण भवन, नई दिल्ली।

विषयः- मास्टर प्लान 2021 में दिल्ली विकास प्राधिकरण के द्वारा मेरे विधानसभा क्षेत्र के कुछ हिस्से को ओ जोन **(Zone O)** से निकालकर एफ जोन **(Zone F)** में डाले जाने हेतू निवेदन।

श्रीमानजी,

इस पत्र के माध्यम से आपसे मेरा विनम्र निवेदन है कि दिल्ली विकास प्राधिकरण के द्वारा तैयार किये गये दिल्ली मास्टर प्लान 2021 में मेरे विधानसभा क्षेत्र के मीठापुर वार्ड व जैतपुर वार्ड को जोन ओ (Zone O) मतलब यमुना नदी का अग्रभाग घोषित किया गया है, जो कि सरासर गलत है।

माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा यमुना बैड या यमुना नदी की धारा से दोनो ओर 300 मीटर के क्षेत्र में आ रहे इलाके को ही यमुना नदी का हिस्सा माना है व इस क्षेत्र के संरक्षण पर जोर दिया है। भविष्य में यमुना नदी के बेहतर संरक्षण हेतू हमें वो इलाका ही ओ जोन में घोषित करना चाहिए, जिसे हम बेहतर ढंग से संरक्षित कर सके। जिसमें हम ज्यादा पेड़ लगाकर और उसे आबादी मुक्त रख सकें, ना कि अनाधिकृत कालोनियाँ व ग्रामीण या शहरीकृत गांव को इस इलाके में डालना चाहिए। इससे भविष्य में हमें यमुना नदी के संरक्षण में दिक्कत आएेगी। इसीलिये ओ जोन के लिये 300 मीटर के दायरा सर्वथा उचित है।

श्रीमानजी, मेरे विधानसभा क्षेत्र के मीठापुर वार्ड व जैतपुर वार्ड को दिल्ली विकास प्राधिकरण के द्वारा दिल्ली मास्टर प्लान 2021 में ओ जोन (Zone O) घोषित किया गया है उसमें जैतपुर गांव, हरीनगर गांव व मीठापुर गांव लाल डोरे के गांव हैं व इसके अलावा लगभग 50 अनाधिकृत कालोनियां जो दिल्ली सरकार की 1639 की सूची में सूचीबद्ध हैं, शामिल हैं व यहां कि आबादी लगभग 4 लाख से भी ज्यादा है। इस क्षेत्र को ओ जोन में शामिल करने से क्षेत्र के निवासियों में बेहद रोष व्यापत है।

नहरपार के इस क्षेत्र को ओ जोन (Zone O) में शामिल करने से हमें कई सरकारी विकास कार्यो में बाधा आ रही है। जिसमें इतनी बड़ी आबादी के लिये मीठापुर में बनने वाला 60 बिस्तरों को दिल्ली सरकार का जच्चा बच्चा अस्पताल, जैतपुर में बनने वाले 5वीं कक्षा तक के विद्यालय, जैतपुर में बनने वाले दिल्ली जल बोर्ड के मिनी वाटर सीवर ट्रीटमेंट प्लांट, इस पूरे क्षेत्र के लिये पुलिस स्टेशन की बिल्डिंग व ऐसी ही कई योजनाऐं हैं जो कि दिल्ली विकास प्राधिकरण के द्वारा इस क्षेत्र को जोन ओ (Zone O) में डाले जाने की वजह से अधर में लटक गई हैं।

Contd....2

222-C, BADARPUR, NEW DELHI-110044, TEL : 011-65802545, 9810820054, 9899250025

रामसिंह नेताजी
RAM SINGH NETAJI

सत्यमेव जयते

सदस्य, दिल्ली विधान सभा
नेता, विधायक दल (बसपा)
सदस्य, दिल्ली जल बोर्ड
MLA, DELHI
Leader, Legislative Party (BSP)
Member, Delhi Jal Board

मेरा पूरा विधानसभा क्षेत्र यमुना फ्रन्ट पर नहीं आता, अपितु मेरे विधानसभा क्षेत्र के बाद हरियाणा की कुछ अनाधिकृत कालोनियों के अलावा बसन्तपुर गांव, ईस्मायलपुर गांव, अगवानपुर गांव व सेहतपुर गांव की आबादी आती है व कुछ सैक्टर भी आते है, उसके बाद कहीं यमुना नदी बहती है।

दिल्ली विकास प्राधिकरण के द्वारा मास्टर प्लान 2021 में यमुना नदी के किनारे बसी गांधी नगर, लक्ष्मी नगर व शकरपुर के ईलाके को पी. जोन (Zone P) में रखा है, जबकि यह ईलाका यमुना नदी से 1 किलोमीटर के दायरे में आता हैं परन्तु मेरे क्षेत्र की वो कालोनियाँ जो यमुना फ्रन्ट पर भी नहीं है, अपितु उनके व यमुना नदी के बीच में हरियाणा की पूरी आबादी बसी हुई है, जिसमें गांव, सैक्टर व कालोनियाँ शामिल हैं, व यमुना नदी से 3 से लेकर 6 किलोमीटर दूर हैं, उनको भी यमुना फ्रन्ट बताकर जोन ओ (Zone O) में शामिल किया गया हैं, जो कि सरासर गलत है।

श्रीमानजी, दिल्ली विकास प्राधिकरण के द्वारा, आगरा नहर के साथ साथ प्रस्तावित कालिन्दी कुंज-पल्ला बाई पास को ओ-जोन की सीमा रेखा, बनाई गई है। मेरा सुझाव व प्रस्ताव है कि आप कृपया दिल्ली उच्च न्यायालय के द्वारा तय किये गये 300 मीटर के दायरे को ही ओ जोन (Zone O) की सीमा रेखा मानें, जिससे कि हम लोग यमुना नदी के भी बेहतर संरक्षित कर सके व साथ ही जनहित के विकास कार्यो में भी कोई अवरोध खड़ा ना हो।

अतः श्रीमान जी से मेरा निवेदन है कि आप कृपया मेरे क्षेत्र में मेरे द्वारा दिये गये उपरोक्त सुझाव के अनुसार मेरे क्षेत्र को ओ जोन से हटाकर एफ जोन में डालने की कृपा करे। हम आपके सदैव आभारी रहेंगें।

आपका अपना,

(रामसिंह नेताजी)

प्रतिलिपीः-

1- माननीय उपराज्यपाल, दिल्ली
2- माननीया मुख्यमंत्री, दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली।
3- माननीय उपाध्यक्ष, दिल्ली विकास प्राधिकरण
4- माननीय निदेशक (योजना) एमपीआर दिल्ली विकास प्राधिकरण
5- माननीय आयुक्त, दिल्ली नगर निगम
6- माननीय मुख्य सचिव, शहरी विकास विभाग, दिल्ली सरकार
7- श्री रमेश कुमार माननीय सांसद दक्षिण दिल्ली।

222 C, BADARPUR, NEW DELHI-110044, TEL : 011-65802545, 9810820054, 9899250025

महेश अवाना
निगम पार्षद
वार्ड नं. 202, मीठापुर (बदरपुर)
सदस्य :
1. विशेष (नियुक्तियां, पदोन्नतियां, अनुशासनात्मक एवं सम्बद्ध मामले) समिति
2. तदर्थ (लाइसेंसिंग एवं तहबाजारी) समिति
3. तदर्थ (लाभकारी परियोजना) समिति
4. ग्रामीण क्षेत्रीय समिति
दिल्ली नगर निगम

दूरभाष : कार्या. : 2666702?
मो. : 981830702?

कार्या. : 27, स्कूल रोड, श्री कालोनी
मीठापुर गांव, बदरपुर
नई दिल्ली–11004?

क्रमांक : MA/11.........   दिनांक : ....

श्री कमलनाथ जी,
माननीय शहरी विकास मंत्री, भारत सरकार,
निर्माण भवन, नई दिल्ली।

विषयः- मास्टर प्लान 2021 में दिल्ली विकास प्राधिकरण के द्वारा मेरे वार्ड मीठापुर (202) को गलत तरीके से ओ जोन (Zone O) में डाले जाने के संदर्भ में।

श्रीमानजी,

इस पत्र के माध्यम से आपसे मेरा विनम्र निवेदन है कि दिल्ली विकास प्राधिकरण के द्वारा तैयार किये गये दिल्ली मास्टर प्लान 2021 में मेरे वार्ड मीठापुर (202) को जोन ओ (Zone O) मतलब यमुना नदी का अग्रभाग/किनारा घोषित किया गया है, जो कि सरासर गलत है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा यमुना बैड या यमुना नदी की धारा से दोनो ओर 300 मीटर के क्षेत्र में आ रहे इलाके को ही यमुना नदी का हिस्सा माना है व इस क्षेत्र के संरक्षण पर जोर दिया है।

श्रीमानजी, मेरे वार्ड मीठापुर (202) को दिल्ली विकास प्राधिकरण के द्वारा दिल्ली मास्टर प्लान 2021 में ओ जोन (Zone O) घोषित किया गया है। इसमें लगभग 30 अनाधिकृत कालोनिया व लाल डोरे का मीठापुर गांव हैं। यह सभी अनाधिकृत कालोनियां जो दिल्ली सरकार की 1639 की सूची में सूचीवद्ध हैं, शामिल हैं व यहां कि आबादी लगभग डेढ़ लाख से भी ज्यादा है। इस क्षेत्र को ओ जोन में शामिल करने से क्षेत्र के निवासियों में बेहद रोष व्यापत है। नहरपार के मेरे इस वार्ड क्षेत्र मीठापुर (202) को ओ जोन (Zone O) में शामिल करने से हमें कई सरकारी विकास कार्यो में बाधा आ रही है। जिसमें इतनी बड़ी आवादी के लिये मीठापुर में वनने वाला 60 बिस्तरों को दिल्ली सरकार का जच्चा बच्चा अस्पताल व इस पूरे क्षेत्र के लिये पुलिस स्टेशन की बिल्डिंग व दिल्ली नगर निगम की ऐसी ही कई योजनाऐं हैं जो कि दिल्ली विकास प्राधिकरण के द्वारा इस क्षेत्र को जोन ओ (Zone O) में डाले जाने की वजह से अधर में लटक गई हैं। दिल्ली विकास प्राधिकरण के द्वारा मास्टर प्लान 2021 में यमुना नदी के किनारे बसी गांधी नगर, लक्ष्मी नगर व शकरपुर के ईलाके को पी. जोन (Zone P) में रखा है, जवकि यह ईलाका यमुना नदी से 1 किलोमीटर के दायरे में आता हैं परन्तु मेरे क्षेत्र की सभी कालोनियाँ जो यमुना फ्रन्ट पर भी नहीं है, अपितु उनके व यमुना नदी के वीच में हरियाणा की पूरी आबादी वसी हुई है, जिसमें गांव, सैक्टर व कालोनियाँ शामिल हैं, व यमुना नदी से 3 से लेकर 6 किलोमीटर दूर हैं, उनको भी यमुना फ्रन्ट बताकर जोन ओ (Zone O) में शामिल किया गया हैं, जो कि सरासर गलत है।

अतः श्रीमान जी से मेरा निवेदन है कि आप कृपया मेरे क्षेत्र को ओ जोन से हटाकर एफ जोन में डालने की कृपा करे। हम आपके सदैव आभारी रहेंगें।

आपका

(महेश अवाना)

प्रतिलिपिः-
1- माननीय उपराज्यपाल, राजनिवास, दिल्ली
2- माननीय निदेशक (योजना) एमपीआर दिल्ली विकास प्राधिकरण, विकास मीनार, नई दिल्ली।
3- माननीय आयुक्त, दिल्ली नगर निगम, सिविक सेन्टर, श्यामा प्रसाद मुखर्जी मार्ग, नई दिल्ली।
4- श्री रमेश कुमार माननीय सांसद दक्षिण दिल्ली, 9 तालकटोरा रोड़, नई दिल्ली।
5- श्री रामसिंह नेताजी, विधायक, बदरपुर, नई दिल्ली।

हेमचन्द गोयल
निगम पार्षद
दिल्ली नगर निगम
वार्ड नं. 203, बदरपुर, नई दिल्ली
सदस्य :
1. नियुक्ति, पदोन्नति, अनुशासनात्मक एवं सम्बद्ध मामले समिति
2. ग्रामीण क्षेत्रीय समिति
3. निर्माण समिति

कार्यालय दूरभाष : 29893694

कार्यालय :
607, मैन जैतपुर रोड
ताजपुर पहाड़ी, बदरपुर
नई दिल्ली - 110 044

10.11.2011

क्रमांक ____________ दिनांक ____________

श्री कमलनाथ जी
माननीय शहरी विकास मंत्री
भारत सरकार
निर्माण भवन, नई दिल्ली

विषय: निगम वार्ड मीठापुर व जैतपुर को दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा ओ जोन **(ZONE O)** से एफ जोन **(ZONE F)** मै परिवर्तित करने हेतू

मान्यवर

इस पत्र के माध्यम से आपको अवगत कराना चाहूँगा कि शहरी विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा लागू मास्टर प्लान 2021 के अंतर्गत दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा नगर निगम वार्ड मीठापुर व जैतपुर के सम्पूर्ण क्षेत्र को ओ जोन **(ZONE O)** में रखा गया है जो कि पूर्णतया गलत है। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा समय समय पर पारित आदेशों के अनुसार ओ जोन यमुना नदी की धारा के दोनो तरफ 300 मीटर क्षेत्र को माना गया है। उपरोक्त दोनो निगम वार्डो का क्षेत्र यमुना नदी की धारा से 2 से 6 किलो मीटर पर स्थित है जो कि यमुना नदी के अग्रभाग/यमुना रीवर बैड से पर्याप्त दूरी पर स्थित है।

महोदय उपरोक्त क्षेत्र के अंतर्गत तीन गांव मीठापुर,हरीनगर तथा जैतपुर तथा सरकार द्वारा 20–सूत्रीय योजना के अंतर्गत भूमिहीनों को प्लाट आवंटित कर बसाई गई हरीजन बस्ती एवं दर्जनों अनाधिकृत कालोनियों है जो कि पूर्णतया विकसित है जिनमें लगभग चार लाख लोग निवास करते है। ये सभी अनाधिकृत कालोनियों दिल्ली सरकार की 1639 की सूची में शामिल है जिनके नियमितीकरण की प्रकिया तेजी से चल रही है। यहाँ सरकार द्वारा सडक,नाली,बिजली तथा पानी आदि की सुविधाएँ पूरी तरह से उपलब्ध करा दी गई है। इस क्षेत्र में तीन प्राथमिक तथा तीन सीनियर सैंकडरी विधालय, डिसपैंसरी तथा बारातघर आदि बनाए जा चुके है।

दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा यमुना नदी से एक किलोमीटर से भी कम दूरी पर सरिता विहार,जसौला विहार तथा पुनर्वास कालोनी मदनपुर खादर बसाई गई है इसलिए मेरा आपसे अनुरोध है कि उपरोक्त कालोनियों की भांति इस क्षेत्र को भी एफ जोन **(ZONE F)** श्रेणी में रखवाकर यहाँ के लगभग चार लाख नागरिकों को राहत प्रदान करने की कृपा करें। मै आपका सदैव आभारी रहूँगा।

सादर

आपका

(हेमचन्द गोयल)

1 माननीय उपराज्यपाल, दिल्ली सरकार
2 माननीय मुख्यमंत्री, दिल्ली सरकार
3 उपाध्यक्ष, दिल्ली विकास प्राधिकरण
4 निदेशक (योजना) एम पी आर, दिल्ली विकास प्राधिकरण
5 आयुक्त, दिल्ली नगर निगम
6 मुख्य सचिव, शहरी विकास विभाग, दिल्ली सरकार
7. श्री रमेश कुमार (माननीय सांसद)
8. श्री राम सिंह नेताजी (माननीय विधायक)

ममता शर्मा
निगम पार्षद
वार्ड नं. 201, जैतपुर
सदस्या :
1. उच्चाधिकार प्राप्त सम्पत्ति–कर समिति
2. विधि एवं सामान्य प्रयोजन समिति
3. क्षेत्रीय ग्रामीण समिति
दिल्ली नगर निगम

दूरभाष : कार्या. : 26666201
26666202
मो. : 9958693201

कार्या. : F1, हरी नगर विस्तार
निकट लोहिया पुल, बदरपुर
नई दिल्ली–110044

क्रमांक : MS/537/11

दिनांक : 15/11/11

श्री कमलनाथ जी,
माननीय शहरी विकास मंत्री,
भारत सरकार,
निर्माण भवन, नई दिल्ली।

विषयः- मास्टर प्लान 2021 में दिल्ली विकास प्राधिकरण के द्वारा मेरे वार्ड जैतपुर (201) को गलत तरीके से ओ जोन (Zone O) में डाले जाने के संदर्भ में।

श्रीमानजी,

इस पत्र के माध्यम से आपसे मेरा विनम्र निवेदन है कि दिल्ली विकास प्राधिकरण के द्वारा तैयार किये गये दिल्ली मास्टर प्लान 2021 में मेरे वार्ड जैतपुर (201) को जोन ओ (Zone O) मतलब यमुना नदी का अग्रभाग/किनारा घोषित किया गया है, जो कि सरासर गलत है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा यमुना वैड या यमुना नदी की धारा से दोनो ओर 300 मीटर के क्षेत्र में आ रहे इलाके को ही यमुना नदी का हिस्सा माना है व इस क्षेत्र के संरक्षण पर जोर दिया है।

श्रीमानजी, मेरे वार्ड जैतपुर (201) को दिल्ली विकास प्राधिकरण के द्वारा दिल्ली मास्टर प्लान 2021 में ओ जोन (Zone O) घोषित किया गया है। इसमें लगभग 20 अनाधिकृत कालोनियाँ व लाल डोरे का जैतपुर गांव व हरीनगर गांव हैं। यह सभी अनाधिकृत कालोनियां जो दिल्ली सरकार की 1639 की सूची में सूचीवद्ध हैं, शामिल हैं व यहां कि आवादी लगभग ढाई लाख से भी ज्यादा है। इस क्षेत्र को ओ जोन में शामिल करने से क्षेत्र के निवासियों में वेहद रोष व्यापत है। नहरपार के मेरे इस वार्ड क्षेत्र जैतपुर (201) को ओ जोन (Zone O) में शामिल करने से हमें कई सरकारी विकास कार्यो में बाधा आ रही है। जिसमें इतनी बड़ी आवादी के लिये जैतपुर विस्तार भाग-2 में बनने वाला नगर निगम का विद्यालय, जैतपुर गांव में दिल्ली जल बोर्ड का मिनी वाटर सीवर ट्रीटमेंट प्लांट व इस पूरे क्षेत्र के लिये पुलिस स्टेशन की विल्डिंग व दिल्ली नगर निगम की ऐसी ही कई योजनाऐं हैं जो कि दिल्ली विकास प्राधिकरण के द्वारा इस क्षेत्र को जोन ओ (Zone O) में डाले जाने की वजह से अधर में लटक गई हैं।

दिल्ली विकास प्राधिकरण के द्वारा मास्टर प्लान 2021 में यमुना नदी के किनारे वसी गांधी नगर, लक्ष्मी नगर व शकरपुर के ईलाके को पी. जोन (Zone P) में रखा है, जवकि यह ईलाका यमुना नदी से 1 किलोमीटर के दायरे में आता हैं परन्तु मेरे क्षेत्र की वो कालोनियाँ जो यमुना फ्रन्ट पर भी नहीं है, अपितु उनके व यमुना नदी के वीच में हरियाणा की पूरी आवादी बसी हुई है, जिसमें गांव, सैक्टर व कालोनियाँ शामिल हैं, व यमुना नदी से 3 से लेकर 6 किलोमीटर दूर हैं, उनको भी यमुना फ्रन्ट बताकर जोन ओ (Zone O) में शामिल किया गया हैं, जो कि हमारे साथ घोर अन्याय है। अतः आपसे मेरा निवेदन है कि आप कृपया मेरे क्षेत्र को ओ जोन से हटाकर एफ जोन में डालने की कृपा करे। हम आपके सदैव आभारी रहेंगें।

आपकी आज्ञाकारी,

(ममता शर्मा)

Mamta Sharma

प्रतिलिपीः-
1- माननीय उपराज्यपाल, राजनिवास, दिल्ली
2- माननीय निदेशक (योजना) एमपीआर दिल्ली विकास प्राधिकरण, विकास मीनार, नई दिल्ली।
3- माननीय आयुक्त, दिल्ली नगर निगम, सिविक सेन्टर, श्यामा प्रसाद मुखर्जी मार्ग, नई दिल्ली।
4- श्री रमेश कुमार माननीय सांसद दक्षिण दिल्ली, 9 तालकटोरा रोड़, नई दिल्ली।
5- श्री रामसिंह नेताजी, विधायक, बदरपुर, नई दिल्ली।

Knowledge is the key of Success

SHARAD CONVENT EDUCATION SOCIETY (Regd.)

478/5, SAI NAGAR, MEETHAPUR EXTN., NEW DELHI - 110044 PH.: 26661885

Ref. No. SCES-VR 2011-186 Dated 9/11/11

श्री कमलनाथ जी ,

माननीय शहरी विकास मंत्री ,
भारत सरकार ,निर्माण भवन नई दिल्ली
विषय :– मास्टर प्लान 2021 में दिल्ली विकास प्राथिकरण के द्वारा हमारी कालोनी को ओ जोन से निकालकर एफ़ जोन में डाले जाने हेतु निवेदन पत्र।

महोदय,

आपसे विनम्र निवेदन हैं । कि हमारी कालोनी सॉई नगर ,मीठापुर पार्ट –2 दिल्ली सरकार की 1639 अनाधिकृत कालोरियों की सूची में सॉई नगर–273 पर सूचीबद्व हैं । दिल्ली विकास प्राथिकरण के द्वारा तैयार व लागू किया गया मास्टर प्लान 2021 में हमारी कालोनी को जोन ओ **(O-Zone)** में रखा गया । जोकि सरासर गलत हैं । जोन ओ यमुना नदी का अग्रभाग, यमुना बैड या यमुना नदी की धारा से दोनो ओर 300 मीटर के क्षेत्र में आ रहें इलाकें को ही माना गया हैं ,जो कि माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा समय समय पर पारित आदेशों के अनुरुप है।

हमारी कालोनी सॉई नगर ,मीठापुर –2/न0. 273 यमुना नदी से लगभग 6 किलो मीटर की दूरी पर हैं। व हम लोग यमुना नदी के किनारे या अग्रभाग पर नहीं बैठे हैं । हमारी कालोनी के बाद कुछ और कालोनियाँ है वं उसके बाद हरियाणा के गांव बसन्तपुर , ईस्मायलपुर , अगवानपुर , सेहतपुर व हरियाणा क़ी कुछ कालोनियाँ भी आती हैं व उसके बाद कहीं जाकर यमुना नदी बहती हैं ।

दिल्ली विकास प्राधिकरण ने हमारे क्षेत्र के बराबर में एफ जोन लागू किया हैं । अतः आपसे हमारा विनम्र निवेदन हैं । कि आप कृपया हमारी कालोनी को भी एफ जोन की श्रेणी में ही रखें । हम आपके सदैव आभारी रहेगें ।

For Sharad Convent Education Society

आपका अपना ,

Genl. Secretary

विजय बहादुर सिंह (महा सचिव)

शरद कॉवेंट एजूकेशन सोसाइटी (रजि0)
B-478/5 सॉईनगर ,मीठापुर विस्तार
,बदरपुर नई दिल्ली–44

प्रतिलिपः–

1. माननीय उपराज्यपाल ,दिल्ली सरकार
2. माननीय उपाध्यक्ष , दिल्ली विकास प्राधिकरण
3. माननीय निदेशक योजना एमपीआर दिल्ली विकास प्राधिकरण
4. माननीय आयुक्त, दिल्ली नगर निगम
5. माननीय मुख्य सचिव , शहरी विकास विभाग, दिल्ली सरकार
6. श्री रमेश कुमार माननीय सांसद दक्षिण दिल्ली ।
7. श्री रामसिंह नेताजी माननी विधायक , बदरपुर विधान सभा क्षेत्र।

☎ ~~6956134~~
~~6956555~~
9213828091

NAV JEEVAN SAMAJ KALYAN VIKAS SAMITI (Regd.)

Off. : 20/1, Lakhpat Colony-1, Meethapur Extn.
Badarpur, New Delhi-110044

माननीय निदेशक (योजना)
एमपीआर दिल्ली विकास प्राधिकरण,
विकास मीनार, 6वीं मंजिल,
नई दिल्ली-110002

DATE ....

विषयः- मास्टर प्लान 2021 में दिल्ली विकास प्राधिकरण के द्वारा लखपत कालोनी भाग-1 (1639/933) कालोनी को ओ जोन (Zone O) से निकालकर एफ जोन (Zone F) में डाले जाने हेतू निवेदन।

महोदय,

आपसे विनम्र निवेदन है कि लखपत कालोनी भाग-1 (1639/933) दिल्ली सरकार की 1639 अनाधिकृत कालोनियों की सूची में 933 पर सूचीबद्ध हैं। दिल्ली विकास प्राधिकरण के द्वारा तैयार व लागू किया गया मास्टर प्लान 2021 में हमारी कालोनी को जोन ओ (Zone O) में रखा गया है, जोकि सरासर गलत है। माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा पारित आदेशों के अनुसारयमुना नदी का अग्रभाग/यमुना बैड या यमुना नदी की धारा से दोनो ओर 300 मीटर के क्षेत्र में आ रहे इलाके के ही संरक्षण पर जोर दिया गया है।

हमारी कालोनी लखपत कालोनी भाग-1 (1639/933) यमुना नदी से लगभग काफी दूरी पर है व हम लोग यमुना नदी के किनारे या अग्रभाग पर नहीं बैठे है। हमारी कालोनी के बाद दिल्ली की कुछ और कालोनियाँ हैं व उसके बाद हरियाणा के गांव अगवानपुर, सेहतपुर व हरियाणा की कुछ कालोनियाँ व सैक्टर एरिया भी आता है व उसके बाद कहीं जाकर यमुना नदी बहती है, जबकि दिल्ली विकास प्राधिकरण के द्वारा यमुना नदी से 1 किलोमीटर के दायरे में आ रही कालोनियों को पी जोन में रखा गया है, फिर हम तो लगभग 6 किलोमीटर की दूरी पर बैठे है।

दिल्ली विकास प्राधिकरण ने हमारे क्षेत्र के बराबर में एफ जोन लागू किया है। अतः आपसे हमारा विनम्र निवेदन है कि आप कृपया हमारी कालोनी को भी एफ जोन की श्रेणी में ही रखें। हम आपके सदैव आभारी रहेंगें।

(बच्चू सिंह शर्मा)

(रमेश गुप्ता)
महासचिव

नव जीवन समाज ... समिति

प्रतिलिपीः-
1- माननीय उपराज्यपाल, राजनिवास, दिल्ली
2- श्री कमलनाथ जी, माननीय शहरी विकास मंत्री, भारत सरकार,
3- श्री रमेश कुमार माननीय सांसद दक्षिण दिल्ली।
4- श्री रामसिंह नेताजी माननीय विधायक, बदरपुर विधानसभा क्षेत्र।

आवासीय सुधार समिति ओम नगर (रजि०)

B-20, ओम नगर, नजदीक मोलडबन्द स्कूल, बदरपुर, नई दिल्ली–110044

माननीय निदेशक (योजना),
एमपीआर दिल्ली विकास प्राधिकरण,विकास
मीनार, 6वीं मंजिल,
नई दिल्ली-110002

विषयः- मास्टर प्लान 2021 में दिल्ली विकास प्राधिकरण के द्वारा ओम नगर (1639/673) कालोनी को ओ जोन (Zone O) से निकालकर एफ जोन (Zone F) में डाले जाने हेतू निवेदन।

महोदय,

आपसे विनम्र निवेदन है कि ओम नगर (1639/673) दिल्ली सरकार की 1639 अनाधिकृत कालोनियों की सूची में 673 पर सूचीबद्ध हैं। दिल्ली विकास प्राधिकरण के द्वारा तैयार व लागू किया गया मास्टर प्लान 2021 में हमारी कालोनी को जोन ओ (Zone O) में रखा गया है, जोकि सरासर गलत है। माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा पारित आदेशों के अनुसार यमुना नदी का अग्रभाग/यमुना बेड या यमुना नदी की धारा से दोनो ओर 300 मीटर के क्षेत्र में आ रहे इलाके का संरक्षण करने की बात कही है।

हमारी कालोनी ओम नगर (1639/673) यमुना नदी से लगभग काफी दूरी पर है व हम लोग यमुना नदी के अग्रभाग पर नहीं बैठे है। हमारी कालोनी के बाद दिल्ली की कुछ और कालोनियाँ हैं व उसके बाद हरियाणा के गांव अगवानपुर, सेहतपुर व हरियाणा की कुछ कालोनियाँ व सैक्टर एरिया भी आता है व उसके बाद कहीं जाकर यमुना नदी बहती है, जबकि दिल्ली विकास प्राधिकरण के द्वारा यमुना नदी से 1000 मीटर के दायरे में आ रही कालोनियों को पीं जोन में रखा गया है, फिर हम तो लगभग 5000 मीटर की दूरी पर बैठे है।

दिल्ली विकास प्राधिकरण ने हमारे क्षेत्र के बराबर में एफ जोन लागू किया है। अतः आपसे हमारा विनम्र निवेदन है कि आप कृपया हमारी कालोनी को भी एफ जोन की श्रेणी में ही रखें। हम आपके सदैव आभारी रहेंगें।

(रामजीत सिंह)
प्रधान

प्रतिलिपीः-
1- श्री कमलनाथ जी, माननीय शहरी विकास मंत्री, भारत सरकार, नई दिल्ली।
2- माननीय उपराज्यपाल, राजनिवास, दिल्ली- 110054
3- माननीया श्रीमती शीला दीक्षित जी, मुख्यमंत्री, दिल्ली सरकार, 3, मोती लाल नेहरू मार्ग, नई दिल्ली।
4- श्री रमेश कुमार सांसद, 9 तालकटोरा रोड़, नई दिल्ली।

M. : 9899367197
98719834267
(O) 26664531, 20067511
320011866

Svrwa Shakti Vihar, A-Block P-1, Rehayasi Welfare Association (Regd.)

Shakti Vihar. A-Block, Molarband Extn., Near Meethapur Chowk, Badarpur, New Delhi-110044

Ref. No. .... Dated..............................

श्री कमलनाथ जी,
माननीय शहरी विकास मंत्री,
भारत सरकार,
नई दिल्ली।

विषयः- मास्टर प्लान 2021 में दिल्ली विकास प्राधिकरण के द्वारा शक्ति विहार ए ब्लाक (1639/186) कालोनी को ओ जोन (Zone O) से निकालकर एफ जोन (Zone F) में डाले जाने हेतू निवेदन।

महोदय,

आपसे विनम्र निवेदन है कि शक्ति विहार ए ब्लाक (1639/186) दिल्ली सरकार की 1639 अनाधिकृत कालोनियों की सूची में 186 पर सूचीबद्ध हैं। दिल्ली विकास प्राधिकरण के द्वारा तैयार व लागू किया गया मास्टर प्लान 2021 में हमारी कालोनी को जोन ओ (Zone O) में रखा गया है, जोकि सरासर गलत है। माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा पारित आदेशों के अनुसार यमुना नदी का अग्रभाग/यमुना बैड या यमुना नदी की धारा से दोनो ओर 300 मीटर के क्षेत्र में आ रहे इलाके का संरक्षण करने की बात कही है।

हमारी कालोनी शक्ति विहार ए ब्लाक (1639/186) यमुना नदी से लगभग काफी दूरी पर है व हम लोग यमुना नदी के अग्रभाग पर नहीं बैठे है। हमारी कालोनी के बाद दिल्ली की कुछ और कालोनियाँ हैं व उसके बाद हरियाणा के गांव अगवानपुर, सेहतपुर व हरियाणा की कुछ कालोनियाँ व सैक्टर एरिया भी आता है व उसके बाद कहीं जाकर यमुना नदी बहती है, जबकि दिल्ली विकास प्राधिकरण के द्वारा यमुना नदी से 1000 मीटर के दायरे में आ रही कालोनियों को पी जोन में रखा गया है, फिर हम तो लगभग 5000 मीटर से भी ज्यादा की दूरी पर बैठे है।

दिल्ली विकास प्राधिकरण ने हमारे क्षेत्र के बराबर में एफ जोन लागू किया है। अतः आपसे हमारा विनम्र निवेदन है कि आप कृपया हमारी कालोनी को भी एफ जोन की श्रैणी में ही रखें। हम आपके सदैव आभारी रहेंगें।

(सतीश शर्मा)
महासचिव

प्रतिलिपीः-
1- माननीय उपराज्यपाल, राजनिवास, दिल्ली- 110054
2- माननीय निदेशक (योजना), एमपीआर दिल्ली विकास प्राधिकरण,विकास मीनार, 6वीं मंजिल, नई दिल्ली-110002
3- श्री रमेश कुमार माननीय सांसद दक्षिण दिल्ली।
4- श्री रामसिंह नेताजी माननीय विधायक, बदरपुर विधानसभा क्षेत्र।

फोन : 9350081629
9711111774

।। सत्य मेव जयते ।।

संयुक्त जन विकास कल्याण समिति रजि०

समस्त मीठापुर क्षेत्र

कार्यालय : A-11/183, मैंन सिन्धु फार्म रोड़, मीठापुर विस्तार, बदरपुर, नई दिल्ली-110044

पत्रांक 1027 दिनांक 15/11/11

श्री कमलनाथ जी,
माननीय शहरी विकास मंत्री,
भारत सरकार,
निर्माण भवन, नई दिल्ली।

विषयः– मास्टर प्लान 2021 में दिल्ली विकास प्राधिकरण के द्वारा मीठापुर क्षेत्र को गलत तरीके से ओ जोन में दर्शाने के संदर्भ में।

मान्यवर जी,

इस पत्र के द्वारा आपसे विनती करना चाहता हूँ कि दिल्ली विकास प्राधिकरण के द्वारा दिल्ली मास्टर प्लान 2021 में मीठापुर क्षेत्र को ओ जोन में दर्शाया गया हैं, जो कि सरासर गलत है। मीठापुर क्षेत्र यमुना नदी से लगभग 6 से 8 किलोमीटर दूर है व इस क्षेत्र की सभी कालोनियाँ दिल्ली सरकार की 1639 अनाधिकृत कालोनियों की सूची में दर्ज है इस क्षेत्र में लाखों की आबादी हैं, व यह क्षेत्र यमुना फ्रन्ट पर नही आता। मीठापुर क्षेत्र के पीछे हरियाणा के सेहतपुर गांव, ईस्मायलपुर, बसन्तपुर व अगवानपुर गांव हैं व कुछ कालोनियाँ व अधिकृत सैक्टर 91 हुडडा एरिया भी आता है तब कहीं जाकर यमुना नदी बहती है इसीलिये मीठापुर क्षेत्र को ओ जोन के दायरे में लाया जाना तर्कसंगत नहीं होगा, जबकि दिल्ली में कई स्थान जो 1 किलोमीटर के दायरे में है, उनको भी आपने ओ–जोन से बाहर रखा है। **यमुना नदी व मीठापुर क्षेत्र के बीच में हरियाणा की यह तमाम आबादी लगभग 6 किलोमीटर के चौड़ाई में बसी हुई है।**

अतः आपसे हमारा विनम्र निवेदन है कि आप कृपया मीठापुर क्षेत्र को ओ जोन से निकालकर हमारे साथ लगते एफ जोन में डालने की कृपा करे। हम आपके सदैव आभारी रहेंगें।

आपका अपना

(वेदराम कसाना)
चैयरमैन

प्रतिलिपिः–
1– माननीय उपराज्यपाल, राजनिवास, दिल्ली– 110054
2– माननीय उपाध्यक्ष, दिल्ली विकास प्राधिकरण, विकास सदन, नई दिल्ली।
3– माननीय निदेशक (योजना) एमपीआर दिल्ली विकास प्राधिकरण, विकास मीनार, नई दिल्ली।
4– माननीय आयुक्त, दिल्ली नगर निगम, सिविक सेंटर, नई दिल्ली।
5– माननीय मुख्य सचिव, शहरी विकास विभाग, दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली।
6– श्री रमेश कुमार माननीय सांसद दक्षिण दिल्ली, 9 तालकटोरा रोड़, नई दिल्ली।
7– श्री रामसिंह नेताजी, माननीय विधायक, बदरपुर, नई दिल्ली।

रेजिडेन्टस वैलफेयर एसोसिएशन (रजि0)

A ब्लाक सिन्धू फार्म रोड, मीठापुर विस्तार, बदरपुर, नई दिल्ली - 110044

पत्रांक.................. दिनांक 14/11/11

श्री कमलनाथ जी,
माननीय शहरी विकास मंत्री,
भारत सरकार
निर्माण भवन, नई दिल्ली।

विषय:- मास्टर प्लान 2021 मै दिल्ली विकास प्राधिकरण के द्वारा हमारी कालोनी को ओ ज़ोन (ZONE 'O') से निकालकर एफ ज़ोन (ZONE 'F') में डाले जाने हेतु निवेदन।

महोदय,
आपसे निवेदन है की हमारी कालोनी ए (A) ब्लाक सिन्धु फार्म रोड दिल्ली सरकार की 1639 अनाधिक्रत कालोनियों की सूची में 1299 पर सुचिबध्ध है.
दिल्ली विकास प्राधिकरण के द्वारा तैयार व् लागू किया गया मास्टर प्लान 2021 में हमारी कालोनी को ज़ोन ओ में रख्खा गया है, जोकि सरासर गलत है. ज़ोन ओ यमुना नदी का अग्रभाग / यमुना बैड या यमुना नदी की धारा से दोनों ओर 300 मीटर के छेत्र में आ रहे इलाके को ही मन गया है, जो की माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा समय समय पर पारित आदेशो के अनुरूप है।

हमारी कालोनी ए ब्लाक सिन्धु फार्म रोड यमुना नदी से लगभग 6 किलोमीटर की दूरी पर है व् हम लोग यमुना नदी के किनारे या अग्रभाग पर नहीं बैठे हैं. हमारी कालोनी के बाद कुछ और कालोनिया हैं व् उसके बाद हरियाणा के गाँव बसंतपुर, इस्मायलपुर, अगवानपुर, सेहतपुर व् हरियाणा की कुछ कालोनिया भी आती है व् उसके बाद कही जाकर यमुना नदी बहती है।

दिल्ली विकास प्राधिकरण ने हमारे छेत्र के बराबर में एफ ज़ोन लागु किया है। अत: आपसे हमारा विनम्र निवेदन है की आप क्रप्या हमारी कालोनी को भी एफ ज़ोन की श्रेणी में ही रखे। हम आपके सदैव आभारी रहेंगे।

आपका अपना.

(सुरेश चन्द्र श्रीवास्तव)
प्रधान
रेजीडेन्टस वैलफेयर एसोसिएशन
सिन्धू फार्म मीठापुर विस्तार
नई दिल्ली-44

प्रतिलिपि:-
1- माननीय उपराज्यपाल, दिल्ली
2- माननीय उपाध्यक्ष, दिल्ली विकास प्राधिकरण
3- माननीय निदेशक (योजना) एमपीआर दिल्ली विकास प्राधिकरण
4- माननीय आयुक्त, दिल्ली नगर निगम
5- माननीय मुख्य सचिव, शहरी विकास विभाग, दिल्ली सरकार
6- श्री रमेश कुमार माननीय सांसद दक्षिण दिल्ली.
7- श्री रामसिंह नेताजी माननीय विधायक, बदरपुर विधानसभा छेत्र।

Mob. : 9891163001

देवेन्द्र अवाना प्रधान

नव निर्माण समिति रजि0 न0 S/24311

जैतपुर विस्तार, पार्ट–I, बदरपुर, नई दिल्ली–44

ांक दिनांक 14/11/11

श्री कमलनाथ जी,
माननीय शहरी विकास मंत्री,
भारत सरकार,
निर्माण भवन, नई दिल्ली।

विषयः- मास्टर प्लान 2021 में दिल्ली विकास प्राधिकरण के द्वारा जैतपुर विस्तार भाग-1 को ओ जोन से निकालकर एफ जोन में डाले जाने का अनुरोध।

श्रीमानजी,

इस पत्र के द्वारा आपसे विनती करना चाहता हूँ कि हमारी रेजीडैन्टस वैलफेयर एसोसिएशन पूरे जैतपुर विस्तार पार्ट-1 का प्रतिनिध्तिव करती हैं। दिल्ली विकास प्राधिकरण के द्वारा दिल्ली मास्टर प्लान 2021 में जैतपुर विस्तार पार्ट-1 को ओ जोन में दर्शाया गया हैं, जो कि सरासर गलत है। जैतपुर विस्तार पार्ट-1 यमुना नदी से लगभग 4 किलोमीटर दूर है व इसकी सभी कालोनियाँ दिल्ली सरकार की 1639 अनाधिकृत कालोनियों की सूची में सूचीबद्ध है, जिनमें जैतपुर विस्तार एल ब्लाक 1639/95, जैतपुर विस्तार के ब्लाक 1639/234, एकता विहार जैतपुर 1639/185, अर्पण विहार जे ब्लाक 1639/184, जैतपुर विस्तार ई-1 1639/304, जैतपुर विस्तार पार्ट-1 1639/368, जैतपुर विस्तार पार्ट-1 1639/506, जैतपुर विस्तार ए ब्लाक 1639/516 व जैतपुर विस्तार आई ब्लाक 1639/582 शामिल हैं व इस क्षेत्र की आबादी ही लगभग पचास हजार से ज्यादा है। हम लोग यमुना फ्रन्ट पर नही आते। हमारे बाद हरियाणा के बसन्तपुर गांव, ईस्मायलपुर गांव, सेहतपुर गांव व अगवानपुर गांव हैं व कुछ कालोनियाँ व सैक्टर एरिया भी आता है तब कहीं जाकर यमुना नदी बहती है, इसीलिये हम लोग ओ जोन के दायरे में नहीं आते है।

जैतपुर विस्तार पार्ट-1 में ज्यादातर गरीब तबके के लोग आते है, जिन्होनें बेहद मेहनत के बाद अपना आशियाना बनाया है। अतः आपसे हमारा विनम्र निवेदन है कि आप कृपया हमारी कालोनी को ओ जोन से निकालकर एफ जोन में डालने की कृपा करे। हम आपके सदैव आभारी रहेंगें।

आपका अपना,

(देवेन्द्र अवाना)
प्रधान

(मुहर: नव निर्माण समिति (रजि.) देवेन्द्र अवाना प्रधान)

प्रतिलिपीः-

1- माननीय उपराज्यपाल, राजनिवास, दिल्ली
2- माननीय उपाध्यक्ष, दिल्ली विकास प्राधिकरण, नई दिल्ली।
3- माननीय निदेशक (योजना) एमपीआर दिल्ली विकास प्राधिकरण, नई दिल्ली।
4- माननीय आयुक्त, दिल्ली नगर निगम, नई दिल्ली।
5- माननीय मुख्य सचिव, शहरी विकास विभाग, दिल्ली सरकार
6- श्री रमेश कुमार माननीय सांसद दक्षिण दिल्ली।

Mob. : 9818222749
9211462759

अखिल भारतीय उपाध्याय महासभा (पंजी.)

13/5, स्कूल रोड़, शक्ति विहार, मीठापुर, बदरपुर, नई दिल्ली–110044

अध्यक्ष :
नेताजी सुभाष चन्द उपाध्याय
क्रान्तीकारी नेता (वरिष्ठ समाज सेवी)
महासचिव :
श्री रामेश्वर उपाध्याय
9716506676
कोषाध्यक्ष :
श्री गौरव उपाध्याय
9871808016
कानूनी सलाहकार :
श्री अशोक कुमार भारती
(Advocate)
उपाध्यक्ष :
डा. रामभरोसी लाल
9910359655
उपाध्यक्ष :
श्री राजेश उपाध्याय
9810639739
कार्यालय सचिव :
डा. अशोक शर्मा
9818812295
कार्यालय सैकेटरी :
मास्टर श्री सन्तोष योगी
सचिव :
श्री सतपाल उपाध्याय
9650994157
श्री [illegible]लाल गोस्वामी
[illegible]7819860
श्री गोली राम उपाध्याय
9990921772
श्री शिव कुमार उपाध्याय
9810113671
श्री बबली उपाध्याय
8826055657
श्री खेमचन्द गोड
9990204041
श्री विनोद कुमार
9953180028
श्री बलबीर गोस्वामी
931276880
श्री प्रमोद कुमार
9555887132
श्री लक्खी राम
9873725627

पत्रांक 351/12 दिनांक 12/11/11

श्री कमलनाथ जी,
माननीय शहरी विकास मंत्री,
भारत सरकार,
निर्माण भवन, नई दिल्ली।

विषयः— मास्टर प्लान 2021 में दिल्ली विकास प्राधिकरण के द्वारा बदरपुर विधानसभा क्षेत्र के मीठापुर वार्ड व जैतपुर वार्ड को गलत तरीके से ओ जोन में दर्षाने के संदर्भ में।

महोदय,

माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा पारित आदेषों के अनुसार जोन ओ यमुना नदी का अग्रभाग/यमुना बैड या यमुना नदी की धारा से दोनो ओर 300 मीटर के क्षेत्र में आ रहे इलाके को ही माना गया है। परन्तु बदरपुर विधानसभा क्षेत्र के जैतपुर वार्ड व मीठापुर वार्ड को कुछ अधिकारियों की मिलीभगत से गलत तरीके से ओ जोन में दर्षाया गया है, जबकि यह दोनों वार्ड यमुना नदी का अग्रभाग नहीं हैं, अपितु इन दोनों वार्डो व यमुना के बीच में हरियाणा के चार गांव व दर्जनों कालोनियाँ हैं।

हम लोग ओ जोन के दायरे में नहीं आते है क्योंकि इन दोनों वार्डो के बाद हरियाणा के गांव बसन्तपुर, ईस्मायलपुर, अगवानपुर, सेहतपुर व हरियाणा की कुछ कालोनियाँ भी आती है व उसके बाद कहीं जाकर यमुना नदी बहती है।

अतः आपसे हमारा विनम्र निवेदन है कि आप कृपया जैतपुर वार्ड व मीठापुर वार्ड को ओ– जोन के दायरे से बाहर करें व कोई दूसरी जोन लगाने की कृपा करें। हम आपके सदैव आभारी रहेंगें।

आपका आज्ञाकारी,
12/11/11
(सुभाषचन्द उपाध्याय)
अध्यक्ष

राष्ट्रीय अध्यक्ष

प्रतिलिपीः—
1— माननीय उपराज्यपाल, दिल्ली
2— माननीय उपाध्यक्ष, दिल्ली विकास प्राधिकरण
3— माननीय निदेषक (योजना) एमपीआर दिल्ली विकास प्राधिकरण
4— माननीय आयुक्त, दिल्ली नगर निगम
5— माननीय मुख्य सचिव, शहरी विकास विभाग, दिल्ली सरकार
6— श्री रमेष कुमार माननीय सांसद दक्षिण दिल्ली।

JANHIT PRAKASH SEWA SAMITI (R)

H.Office : [illegible]205, Jaitpur Extn. Part-II, Kalindi Kunj Road, Badar[illegible] New Delhi-110044
B. Office: D-1, Madanpur Khadar Phase-III, New Del[illegible] [illegible]0076

Ref. No. J.P.S.S./2011/6…

Date: 10/11/201…

MD. YUNUS
President

सेवा में।

श्री कमलनाथ जी।
माननीय शहरी विकास मंत्री
भारत सरकार, निर्माण भवन
नई दिल्ली --

विषय :— मास्टर प्लान 2021 में दिल्ली विकास प्राधिकरण के द्वारा हमारी कालोनी जैतपुर पार्ट-II, को ओ जोन (zone O) में निकाल कर एक जोन (zone E) में डाले जाने हेतु प्रार्थना पत्र।

महोदय।

आप से विनम्र निवेदन है कि हमारी कालोनी जैतपुर पार्ट-II दिल्ली सरकार की 1639 अनाधिकृत कालोनियों की सूची में 890 पर सूचीबद्ध है। दिल्ली विकास प्राधिकरण के द्वारा तैयार व लागू किया गया मास्टर प्लान 2021 में हमारी कालोनी को जोन ओ (zone O) में रखा गया है, जोकि सरासर गलत है जोन ओ, यमुना नदी का अपवाह / यमुना बेड या यमुना नदी की धारा से दोनों ओर 300 मीटर के क्षेत्र में आ रहे इलाके को ही माना गया है जो कि माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा समय समय पर पारित आदेशों के अनुरूप है।

हमारी कालोनी जैतपुर पार्ट-II यमुना नदी से लगभग 6 किलोमीटर की दूरी पर है, हम लोग यमुना नदी के किनारे या अपवाह पर नहीं बसे हैं, हमारी कालोनी के बाद कुछ और कालोनियां हैं, उसके बाद कहीं जाकर यमुना नदी बहती है।

दिल्ली विकास प्राधिकरण ने हमारे क्षेत्र को एक जोन लागू किया है अतः आप से निवेदन है कि आप कृपया हमारी कालोनी को एक जोन की श्रेणी में ही रखें हम आपके आभारी रहेंगे।

धन्यवाद।

संलग्न :— [illegible] कमिश्नर आफ पुलिस के रिपोर्ट की कापी —

श्री मो० युनुस (चेयरमैन)
अध्यक्ष :- जे०पी०एस०एस०

प्रतिलिपी :—

1- माननीय उपराज्यपाल दिल्ली -
2- माननीय उपाध्यक्ष दिल्ली विकास प्राधिकरण,
3- माननीय निदेशक (योजना) एम०पी०आर० दिल्ली विकास प्राधिकरण,
4- माननीय आयुक्त दिल्ली नगर निगम,
5- माननीय मुख्य सचिव, शहरी विकास विभाग दिल्ली सरकार,
6- श्री रमेश कुमार, माननीय सांसद दक्षिण दिल्ली
7- श्री रामसिंह नेताजी माननीय विधायक, बदरपुर विधानसभा क्षेत्र,

JANHIT PRAKASH SEWA SAMITI President

7

OFFICE OF THE JOINT COMMISSIONER OF POLICE
SOUTHERN RANGE: DELHI

The orders of the Hon'ble High Court of Delhi dated 15.12.2006 and 21.2.2007 are again reiterated that no construction should be allowed within 300 meters from the "present edge of river Yamuna". The zero point of measurement of 300 meters has also been clearly defined by the P.W.D. of G.N.C.T., Delhi. The PHQ has also issued directions vide No.24489-97/C&T (AC-V) (PHQ), dated 13.8.2009 in this regard.

The Yamuna -- Removal of Encroachments Monitoring Committee headed by Justice Usha Mehra has also ordered the concerned SHOs to prevent construction in Yamuna River Bed. The committee vide letter dated 11.8.2009 has stated that complaints have been received regarding large-scale encroachments in Jaitpur, Molar Band, Village Aali, Village Madanpur Khadar, Village Jaitpur etc. The Chairperson observed that these colonies are in the Yamuna River belt and clear violation of the order of the Hon'ble Delhi High Court in this regard.

CP/Delhi has taken a very serious view of this and warned that SHOs be held personally responsible for any unauthorized construction take place along the river belt in the Police Stations Jaitpur, Sarita Vihar, Badarpur and Jamia Nagar.

Addl.CP/SE District and ACP/New Friends Colony must ensure that SHOs take action on the ground and there is no encroachment within 300 meters of the water line along Yamuna bed in South-East District in general and in the area of Batla House Extension and Jogabnai Extension in particular.

SHOs/Sarita Vihar, Jaitpur and New Friends Colony must also ensure strict compliance of the above mentioned orders of Hon'ble Delhi High Court and of the Yamuna – Removal of Encroachments Monitoring Committee.

A copy of CP's U.O. Note No. 3888/P.Sec./CP, Delhi, dated 22.10.09 is enclosed for information and necessary action.

(AJAY KASHYAP)
JOINT COMMISSIONER OF POLICE
SOUTHERN RANGE: DELHI

Addl. CP/SE

Encl. : As above

No. 13152 /SO/SR(AC-I),

Dated 24 /10/2009.

PTO

Regd. No. 60665

MANAV STHALI RESIDENTIAL WELFARE ASSOCIATION

I-Block, (MTNL Exchange) Hari Nagar Extn., Badarpur, New Delhi-110044

Date : 09/11/2011

सेवा में,

श्री कमल नाथ जी
माननीय शहरी विकास मंत्री
भारत सरकार
निर्माण भवन, नई दिल्ली।

विषयः -मास्टर प्लान 2021 में दिल्ली विकास प्राधिकरण के द्वारा हमारी कालोनी आई ब्लाक हरी नगर विस्तार बदरपुर नई दिल्ली-110044 (1082) को ओ0 जोन (Zone-O) से निकालकर एफ जोन (Zone-F) में परिवर्तित करने हेतू।

आदरणीय महोदय,

निवेदन है कि हमारी कालोनी आई-ब्लाक, हरी नगर विस्तार बदरपुर नई दिल्ली-110044 दिल्ली सरकार की 1639 अनधिकृत कालोनियॅा की सूची के 1082 नम्बर पर सूचीबद्ध हैं। दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा तैयार व लागू किया मास्टर प्लान 2021 हमारी कालोनी को ओ0 जोन (Zone-O) मे रखा गया है जो सर्वदा गलत और कालोनीवासियों की भावनाओ के खिलाफ हैं।

माननीय उच्च न्यायालय द्वारा समय समय पर पारित आदेशो के अनुसार जोन जो जमुना का अग्रभाग/जमुना बेड या जमुना नदी की धारा से दोनो तरफ 300 मीटर के क्षेत्र में आने वाले को ही माना गया हैं। हमारी उक्त कालोनी जमुना नदी से तीन या चार किलो मीटर की दूरी पर हैं दिल्ली विकास प्राधिकरण ने हमारे क्षेत्र के बराबर में एफ जोन लागू किया है।

अतः आपसे हमारा विनम्र निवेदन है कि आप कृपा हमारी कालोनी को भी एफ जोन की श्रेणी में रखने हेतू उपयुक्त कार्यवाही अविलम्ब करवाने का कष्ट करे। हम आपके सदैव अभारी रहेगें।

प्रतिलिपिः -

1. माननीय उपराज्यपाल, दिल्ली
2. माननीय उपाध्यक्ष, दिल्ली विकास प्राधिकरण
3. माननीय निदेशक (योजना) एम0 पी0 आर0, दिल्ली विकास प्राधिकरण
4. माननीय आंयुक्त, दिल्ली नगर निगम
5. माननीय मुख्य सचिव, शहरी विकास विभाग, दिल्ली सरकार
6. माननीय श्री रमेश कुमार, सांसद दक्षिण दिल्ली।
7. माननीय श्री रामसिंह नेताजी, विधायक बदरपुर विधानसभा क्षेत्र।

आपका अपना,
(प्रधान का नाम, हस्ताक्षर मोहर सहित)

President
Residential Welfare Association
I-657, Hari Nagar Extn.
Badar Pur, New Delhi-110044

Ajay Kr. Pandey
(President)
Mob. : 9313109225

Mithun Das
(G. Secretory)
Mob. : 9311160006

(Regd. No. S-51055)

JAN UTTHAN SOCIETY

D-Block, Meethapur Extn. Part-I, Badarpur, New Delhi-110044

ı. Y.P. Sharma
'resident)

ı. Ashok Bhatnagar
'ice President)

ı. P. P. Thapliyal
Gen. Secretary)

ı. S. K. Singh
Secretary)

ı. K. Singh
. Secretary)

ı. Gopi Ram Sharma
reasurer)

ı. J.S. Negi
uditor)

ı. N. L. Sharma
xe. Member)

ı. K. C. Gupta
xe. Member)

ı. Ajay Singh
xe. Member)

ı. Hemant Kumar
xe. Member)

ı. Ghanshyam Rai
xe. Member)

ı. K. P. Singh
xe. Member)

No. JUS/11/102 Date 10/11/2011

श्री कमलनाथ जी,
माननीय शहरी विकास मंत्री,
भारत सरकार,
निर्माण भवन, नई दिल्ली।

विषयः– मास्टर प्लान 2021 में दिल्ली विकास प्राधिकरण के द्वारा मीठापुर विस्तार भाग–1, डी ब्लाक 1639/102 को ओ जोन में दर्शाने के संदर्भ में।

मान्यवर जी,

इस पत्र के द्वारा आपसे विनती करना चाहता हूँ कि दिल्ली विकास प्राधिकरण के द्वारा दिल्ली मास्टर प्लान 2021 में हमारी कालोनी को ओ जोन में दर्शाया गया हैं, जो कि सरासर गलत है। ओ–जोन का दायरा यमुना नदी के किनारे होता है जबकि हमारी कालोनी मीठापुर विस्तार भाग–1 डी ब्लाक यमुना नदी से लगभग 7 किलोमीटर दूर है व दिल्ली सरकार की 1639 अनाधिकृत कालोनियों की सूची में 102 नम्बर पर दर्ज है व हम लोग यमुना फ्रन्ट पर नही आते। हमारे बाद दिल्ली की अनेक कालोनियों के अलावा हरियाणा के सेहतपुर गांव व अगवानपुर गांव हैं व कुछ कालोनियाँ व सैक्टर भी आता है तब कहीं जाकर यमुना नदी बहती है इसीलिये हम लोग ओ जोन के दायरे में नहीं आते है

अतः आपसे हमारा विनम्र निवेदन है कि आप कृपया हमारी कालोनी मीठापुर विस्तार भाग–1 डी ब्लाक को ओ जोन से निकालकर एफ जोन में डालने की कृपा करे। हम आपके सदैव आभारी रहेंगें।

आपका आज्ञाकारी,

(युधिष्ठर प्रसाद शर्मा)
अध्यक्ष

President
... Society (Regd.)
... Extn. Part-I

प्रतिलिपीः–
1– माननीय उपराज्यपाल, दिल्ली
2– माननीय उपाध्यक्ष, दिल्ली विकास प्राधिकरण
3– माननीय निदेषक (योजना) एमपीआर दिल्ली विकास प्राधिकरण
4– माननीय आयुक्त, दिल्ली नगर निगम
5– माननीय मुख्य सचिव, शहरी विकास विभाग, दिल्ली सरकार
6– श्री रमेश कुमार माननीय सांसद दक्षिण दिल्ली।
7– श्री रामसिंह नेताजी, माननीय विधायक, बदरपुर, नई दिल्ली।

N – BLOCK JAN KALYAN SAMITTEE (REGD.)

(REGD. NO. S-52667)

N-82, HARI NAGAR EXTN., JAITPUR, BADARPUR, NEW DELHI

Ref. No.................. Dated:

श्री कमलनाथ जी,
माननीय शहरी विकास मंत्री,
भारत सरकार,
निर्माण भवन, नई दिल्ली।

विषयः– मास्टर प्लान 2021 में दिल्ली विकास प्राधिकरण के द्वारा हरीनगर विस्तार ब्लाक एन 1639/803 को एफ जोन में डाले जाने का अनुरोध।

श्रीमानजी,

इस पत्र के द्वारा आपसे विनती करना चाहता हूँ कि हमारी रेजीडैन्टस वैलफेयर एसोसिएशन हरीनगर विस्तार ब्लाक एन 1639/803 का प्रतिनिध्तिव करती हैं। दिल्ली विकास प्राधिकरण के द्वारा दिल्ली मास्टर प्लान 2021 में हमारी कालोनी को ओ जोन में दर्शाया गया हैं, जो कि सरासर गलत है। हमारी कालोनी यमुना नदी से लगभग 7 किलोमीटर दूर है व दिल्ली सरकार की 1639 अनाधिकृत कालोनियों की सूची में 803 नम्बर पर सूचीबद्ध है व हम लोग यमुना फन्ट पर नही आते। हमारे बाद बदरपुर विधानसभा क्षेत्र की कुछ और कालोनियां व हरियाणा के बसन्तपुर गांव, ईस्मायलपुर गांव व अगवानपुर गांव हैं व कुछ कालोनियाँ व सैक्टर एरिया भी आता है तब कहीं जाकर यमुना नदी बहती है, इसीलिये हम लोग ओ जोन के दायरे में नहीं आते है।

अतः आपसे हमारा विनम्र निवेदन है कि आप कृपया हमारी कालोनी को ओ जोन से निकालकर एफ जोन में डालने की कृपा करे। हम आपके सदैव आभारी रहेंगें।

आपका आज्ञाकारी,

(जमादार ओझा)
प्रधान
N-ब्लाक जन कल्याण समिति
110044

प्रतिलिपीः–

1– माननीय उपराज्यपाल, राजनिवास, दिल्ली
2– माननीय उपाध्यक्ष, दिल्ली विकास प्राधिकरण, नई दिल्ली।
3– माननीय निदेशक (योजना) एमपीआर दिल्ली विकास प्राधिकरण, नई दिल्ली।
4– माननीय आयुक्त, दिल्ली नगर निगम, नई दिल्ली।
5– माननीय मुख्य सचिव, शहरी विकास विभाग, दिल्ली सरकार
6– श्री रमेश कुमार माननीय सांसद दक्षिण दिल्ली।
7– श्री रामसिंह नेताजी, माननीय विधायक, बदरपुर, नई दिल्ली।

पंजीयन संख्या : S-56732/06

आवासीय जनता सेवा समिति, हरि नगर बिस्तार, पार्ट–2, ई ब्लॉक (पंजीकृत)

ई–285, गली न0–15, हरि नगर बिस्तार-II, बदरपुर, नई दिल्ली–110044

इन्द्र कुमार
अध्यक्ष
9810115171

मदन सिंह
उपाध्यक्ष
9868361359

दिनवन्धु चौधरी
प्रधान महासचिव
9213715383

सत्येन्द्र सिंह
महासचिव
98[illegible]195924

र[illegible]पाल बघैल
सचिव

निरज कुमार झा
कोषाध्यक्ष
9818327365

नरेन्द्र झा
मुख्य सलाहकार
9968274030

कार्यकारिणी सदस्य
कपिल झा
उमाशंकर शर्मा
ललित मिश्रा
आनन्द झा
ह[illegible]रायण साह
[illegible]द कुमार साही
उमश कुमार दास
संजीव सिंह
दिलीप सिंह
मुरारी सिंह
राम निवास
संजय कुमार शर्मा
राकेश कुमार पोरवाल
रामचन्द्र शर्मा
सपथ उल्ला
वकील पौद्धार
विजय कुमार झा
शंकर जयसवाल
रामेश्वर शर्मा
योगेन्द्र जयसवाल
अशोक कुमार
विनोद शाही

श्री कमलनाथ जी,
माननीय शहरी विकास मंत्री,
भारत सरकार,
निर्माण भवन, नई दिल्ली।

विषयः– मास्टर प्लान 2021 में दिल्ली विकास प्राधिकरण के द्वारा हरीनगर विस्तार भाग–2, ई ब्लाक 1639/841 को ओ जोन में दर्शाने के संदर्भ में।

मान्यवर जी,

इस पत्र के द्वारा आपसे विनती करना चाहता हूँ कि दिल्ली विकास प्राधिकरण के द्वारा दिल्ली मास्टर प्लान 2021 में हमारी कालोनी को ओ जोन में दर्शाया गया हैं, जो कि सरासर गलत है। ओ–जोन का दायरा यमुना नदी की धारा से 300 मीटर तक होता है जबकि हमारी कालोनी हरीनगर विस्तार भाग–2 ई ब्लाक यमुना नदी से लगभग 4–5 किलोमीटर दूर है व दिल्ली सरकार की 1639 अनाधिकृत कालोनियों की सूची में दर्ज है व हम लोग यमुना फ्रन्ट पर नही आते। हमारे बाद दिल्ली की अनेक कालोनियों के अलावा हरियाणा के गांव व कुछ कालोनियाँ आती है तब कहीं जाकर यमुना नदी बहती है इसीलिये हम लोग ओ जोन के दायरे में नहीं आते है

अतः आपसे हमारा विनम्र निवेदन है कि आप कृपया हमारी कालोनी हरीनगर विस्तार भाग–2 ई ब्लाक को ओ जोन से निकालकर एफ जोन में डालने की कृपा करे। हम आपके सदैव आभारी रहेंगें।

आपका आज्ञाकारी,

(इन्द्र कुमार)
अध्यक्ष

प्रतिलिपीः–
1– माननीय उपराज्यपाल, दिल्ली
2– माननीय उपाध्यक्ष, दिल्ली विकास प्राधिकरण
3– माननीय निदेषक (योजना) एमपीआर दिल्ली विकास प्राधिकरण
4– माननीय आयुक्त, दिल्ली नगर निगम
5– माननीय मुख्य सचिव, शहरी विकास विभाग, दिल्ली सरकार
6– श्री रमेश कुमार माननीय सांसद दक्षिण दिल्ली।

SAIFI WELFARE ASSOCIATION OF INDIA (Regd.)
UNIT : (District South) Jaitpur Extn. Badarpur
New Delhi-110044
AFFILIATED TO
सैफी वेल्फ़ेयर एसोसियेशन ऑफ इंडिया (रजि0)
SAIFI WELFARE ASSOCIATION OF INDIA (Regd.) Registration No:- S-49308/04

Head Office: Saifi Centre: 24/18, Zakir Nagar, New Delhi-110025
Office: E-16/2, Jaitpur Extn. Badarpur New Delhi-110044
Phone No-011-65339986

Mohm. Babu Khan Saifi
Presedent

Date ....

श्री कमलनाथ जी,
माननीय शहरी विकास मंत्री,
भारत सरकार,
निर्माण भवन, नई दिल्ली।

विषयः- मास्टर प्लान 2021 में दिल्ली विकास प्राधिकरण के द्वारा जैतपुर विस्तार ब्लाक ई.एफ.जी.एच. 1639/506 को एफ जोन में डाले जाने का अनुरोध।

श्रीमानजी,

इस पत्र के द्वारा आपसे विनती करना चाहता हूँ कि हमारी रेजीडैन्टस वैलफेयर एसोसिएशन जैतपुर विस्तार ब्लाक ई.एफ. जी.एच. 1639/506 का प्रतिनिध्वि करती हैं। दिल्ली विकास प्राधिकरण के द्वारा दिल्ली मास्टर प्लान 2021 में हमारी कालोनी को ओ जोन में दर्शाया गया हैं, जो कि सरासर गलत है। हमारी कालोनी यमुना नदी से लगभग 5 किलोमीटर दूर है व दिल्ली सरकार की 1639 अनाधिकृत कालोनियों की सूची में 506 नम्बर पर सूचीबद्ध है व हम लोग यमुना फ्रन्ट पर नही आते। हमारे बाद हरियाणा के बसन्तपुर गांव, ईस्मायलपुर गांव, सेहतपुर गांव व अगवानपुर गांव हैं व कुछ कालोनियाँ व सैक्टर एरिया भी आता है तब कहीं जाकर यमुना नदी बहती है, इसीलिये हम लोग ओ जोन के दायरे में नहीं आते है।

अतः आपसे हमारा विनम्र निवेदन है कि आप कृपया हमारी कालोनी को ओ जोन से निकालकर एफ जोन में डालने की कृपा करे। हम आपके सदैव आभारी रहेंगें।

आपका आज्ञाकारी,
Babu Khan
(बाबू खान सैफी)
अध्यक्ष

प्रतिलिपीः-
1- माननीय उपराज्यपाल, राजनिवास, दिल्ली
2- माननीय उपाध्यक्ष, दिल्ली विकास प्राधिकरण, नई दिल्ली।
3- माननीय निदेशक (योजना) एमपीआर दिल्ली विकास प्राधिकरण, नई दिल्ली।
4- माननीय आयुक्त, दिल्ली नगर निगम, नई दिल्ली।
5- माननीय मुख्य सचिव, शहरी विकास विभाग, दिल्ली सरकार
6- श्री रमे-ा कुमार माननीय सांसद दक्षिण दिल्ली।
7- श्री रामसिंह नेताजी, माननीय विधायक, बदरपुर, नई दिल्ली।

HARI NAGAR RESIDENTS WELFARE ASSOCIATION (Regd.)

F-32, HARI NAGAR EXT., PART-II, BADARPUR, NEW DELHI-110044

REF. .... DATE........................

श्री कमलनाथ जी,
माननीय शहरी विकास मंत्री,
भारत सरकार,
निर्माण भवन, नई दिल्ली।

विषयः— मास्टर प्लान 2021 में दिल्ली विकास प्राधिकरण के द्वारा हरीनगर विस्तार भाग—2 एफ ब्लाक 1639 / 225 को ओ जोन में दर्शाने के संदर्भ में।

मान्यवर जी,

इस पत्र के द्वारा आपसे विनती करना चाहता हूँ कि दिल्ली विकास प्राधिकरण के द्वारा दिल्ली मास्टर प्लान 2021 में हमारी कालोनी हरीनगर विस्तार भाग—2 एफ ब्लाक को ओ जोन में दर्शाया गया हैं, जो कि सरासर गलत है। ओ—जोन का दायरा यमुना नदी के किनारे होता है जबकि हमारी कालोनी हरीनगर विस्तार भाग—2 एफ ब्लाक यमुना नदी से लगभग 4 किलोमीटर दूर है व दिल्ली सरकार की 1639 अनाधिकृत कालोनियों की सूची में 225 नम्बर पर दर्ज है व हम लोग यमुना फ्रन्ट पर नही आते। हमारे बाद दिल्ली की अनेक कालोनियों के अलावा हरियाणा के बसन्तपुर गांव व ईस्मायलपुर गांव हैं व कुछ कालोनियाँ व सैक्टर एरिया भी आता है तब कहीं जाकर यमुना नदी बहती हैं इसीलिये हम लोग ओ जोन के दायरे में नहीं आते है

अतः आपसे हमारा विनम्र निवेदन है कि आप कृपया हमारी कालोनी हरीनगर विस्तार भाग—2 एफ ब्लाक को ओ जोन से निकालकर एफ जोन में डालने की कृपा करे। हम आपके सदैव आभारी रहेंगें।

आपका आज्ञाकारी,

(कृष्णकान्त झा)
प्रधान

प्रतिलिपीः—
1— माननीय उपराज्यपाल, दिल्ली
2— माननीय उपाध्यक्ष, दिल्ली विकास प्राधिकरण
3— माननीय निदेषक (योजना) एमपीआर दिल्ली विकास प्राधिकरण, नई दिल्ली।
4— माननीय आयुक्त, दिल्ली नगर निगम, नई दिल्ली।
5— माननीय मुख्य सचिव, शहरी विकास विभाग, दिल्ली सरकार
6— श्री रमेश कुमार माननीय सांसद दक्षिण दिल्ली।
7— श्री रामसिंह नेताजी, माननीय विधायक, बदरपुर, नई दिल्ली।

फोन :- 26666855
मोबाइल नं०- 9999342183
9868132320

ब्लॉक डी-२, रेजीडेन्ट वैलफेयर एसो० हरिनगर विस्तार (रजि नं० -S/50925)

कार्यालय पता:- डी-२/२३०, हरिनगर विस्तार, जैतपुर बदरपुर नई दिल्ली -११००४४

क्रमांक आर० डब्लू० ए०-2/2011 दिनांक...........

श्री कमलनाथ जी,
माननीय शहरी विकास मंत्री,
भारत सरकार,
निर्माण भवन, नई दिल्ली।

विषयः— मास्टर प्लान 2021 में दिल्ली विकास प्राधिकरण के द्वारा हरीनगर विस्तार डी—2 ब्लाक 1639 / 379 को गलत तरीके से ओ जोन में दर्शाने के संदर्भ में।

श्रीमानजी,

इस पत्र के द्वारा आपसे विनती करना चाहता हूँ कि दिल्ली विकास प्राधिकरण के द्वारा दिल्ली मास्टर प्लान 2021 में हमारी कालोनी हरीनगर विस्तार डी—2 ब्लाक को ओ जोन में दर्शाया गया हैं, जो कि सरासर गलत है। हमारी कालोनी जैतपुर विस्तार पार्ट—1 यमुना नदी से लगभग 6 किलोमीटर दूर है व दिल्ली सरकार की 1639 अनाधिकृत कालोनियों की सूची में 379 नम्बर पर दर्ज है व हम लोग यमुना फ्रन्ट पर नही आते। हमारे बाद दिल्ली की अनेक कालोनियों के अलावा हरियाणा के बसन्तपुर गांव, ईस्मायलपुर गांव व अगवानपुर गांव हैं व कुछ कालोनियाँ व सैक्टर एरिया भी आता है तब कहीं जाकर यमुना नदी बहती है, इसीलिये हम लोग ओ जोन के दायरे में नहीं आते है

अतः आपसे हमारा विनम्र निवेदन है कि आप कृपया हमारी कालोनी हरीनगर विस्तार डी—2 ब्लाक को ओ जोन से निकालकर एफ जोन में डालने की कृपा करे। हम आपके सदैव आभारी रहेंगें।

आपका आज्ञाकारी

(टेकचन्द बघेल)
अध्यक्ष

प्रतिलिपिः—
1— माननीय उपराज्यपाल, राजनिवास, दिल्ली
2— माननीय उपाध्यक्ष, दिल्ली विकास प्राधिकरण, नई दिल्ली।
3— माननीय निदेशक (योजना) एमपीआर दिल्ली विकास प्राधिकरण, नई दिल्ली।
4— माननीय आयुक्त, दिल्ली नगर निगम, नई दिल्ली।
5— माननीय मुख्य सचिव, शहरी विकास विभाग, दिल्ली सरकार
6— श्री रमेश कुमार माननीय सांसद दक्षिण दिल्ली।
7— श्री रामसिंह नेताजी, माननीय विधायक, बदरपुर, नई दिल्ली।

नव निर्माण उप – समिति

रजि. नं. S/24311

159, आई– ब्लॉक, जैतपुर एक्स. पार्ट – 1, बदरपुर नई दिल्ली–44

ध्यक्ष
। नारायण यादव
10515490

ाध्यक्ष
ण कुमार उपाध्याय
50678333

हासचिव
.बी. वर्मा
18 485

ोषाध्यक्ष
रेन्दर झा

चिव
लकान्त

ार मंत्री
र सिंह

लाह ार
दीश
कर सिंह

दस्य
। नारायण
ा राम जी
व प्रसाद यादव
व प्रकाश शुक्ला

रक्षक
स्वामी
मन भारती

दिनाँक............

श्री कमलनाथ जी,
माननीय शहरी विकास मंत्री,
भारत सरकार,
निर्माण भवन, नई दिल्ली।

विषयः– मास्टर प्लान 2021 में दिल्ली विकास प्राधिकरण के द्वारा जैतपुर विस्तार पार्ट–1 1639/582 को ओ जोन में दर्शाने के संदर्भ में।

मान्यवर जी,

इस पत्र के द्वारा आपसे विनती करना चाहता हूँ कि दिल्ली विकास प्राधिकरण के द्वारा दिल्ली मास्टर प्लान 2021 में हमारी कालोनी जैतपुर विस्तार पार्ट–1 को ओ जोन में दर्शाया गया हैं, जो कि सरासर गलत है। हमारी कालोनी जैतपुर विस्तार पार्ट–1 यमुना नदी से लगभग 6 किलोमीटर दूर है व दिल्ली सरकार की 1639 अनाधिकृत कालोनियों की सूची में 582 नम्बर पर दर्ज है व हम लोग यमुना फ्रन्ट पर नही आते। हमारे बाद दिल्ली की अनेक कालोनियों के अलावा हरियाणा के बसन्तपुर गांव, ईस्मायलपुर गांव व अगवानपुर गांव हैं व कुछ कालोनियाँ व सैक्टर एरिया भी आता है तब कहीं जाकर यमुना नदी बहती है इसीलिये हम लोग ओ जोन के दायरे में नहीं आते है

अतः आपसे हमारा विनम्र निवेदन है कि आप कृपया हमारी कालोनी जैतपुर विस्तार पार्ट–1 को ओ जोन से निकालकर एफ जोन में डालने की कृपा करे। हम आपके सदैव आभारी रहेंगें।

आपका आज्ञाकारी,
अध्यक्ष
नव निर्माण उपसमिति (रजि०)
आई ब्लाक, जैतपुर विस्तार
(शिवनारायण यादव)
बदरपुर, दिल्ली-44
प्रधान

प्रतिलिपिः–
1– माननीय उपराज्यपाल, राजनिवास, दिल्ली
2– माननीय उपाध्यक्ष, दिल्ली विकास प्राधिकरण, नई दिल्ली।
3– माननीय निदेशक (योजना) एमपीआर दिल्ली विकास प्राधिकरण, नई दिल्ली।
4– माननीय आयुक्त, दिल्ली नगर निगम, नई दिल्ली।
5– माननीय मुख्य सचिव, शहरी विकास विभाग, दिल्ली सरकार
6– श्री रमेश कुमार माननीय सांसद दक्षिण दिल्ली।
7– श्री रामसिंह नेताजी, माननीय विधायक, बदरपुर, नई दिल्ली।

RESIDENTS WELFARE ASSOCIATION (REGD.)

Office : 1145/9, Lakhpat Colony II, Badarpur, New Delhi 110044
Phone : 9310518615, 9711825311, 9891310616
Email : rwalakhpat2@gmail.com

PRESIDENT
Mahesh Kardam
Mob.: 9310518615

VICE PRESIDENT
Ravinder Tiwari
Mob.: 9910700759

Santosh Dixit
Mob.: 9990234830

GENERAL SECRETARY
Jordon Jacob
Mob.: 9711825311

JOINT SECRETARY
Hira Singh
Mob.: 9871200422

ORGANISING SECRETARY
Rajesh Kumar
Mob.: 9910806082

PUBLICITY SECRETARY
C.P. Yadav
Mob.: 9210405610

TREASURER
Ashok Sharma
Mob.: 9891310616

ADVISORS
Satyabhan Pal
Mob.: 9868535754

Sripal Sharma
Mob.: 9211635409

Yogesh Kaushik
Mob.: 9958365484

श्री कमलनाथ जी,
माननीय शहरी विकास मंत्री,
भारत सरकार,
निर्माण भवन, नई दिल्ली।

विषयः— मास्टर प्लान 2021 में दिल्ली विकास प्राधिकरण के द्वारा लखपत कालोनी भाग—2 1639/240 को एफ जोन में डाले जाने का अनुरोध।

श्रीमानजी,

इस पत्र के द्वारा आपसे विनती करना चाहता हूँ कि हमारी रेजीडैन्टस वैलफेयर एसोसिएशन लखपत कालोनी भाग—2 1639/240 प्रतिनिध्त्वि करती हैं। दिल्ली विकास प्राधिकरण के द्वारा दिल्ली मास्टर प्लान 2021 में हमारी कालोनी को ओ जोन में दर्शाया गया हैं, जो कि सरासर गलत है। हमारी कालोनी यमुना नदी से लगभग 8 किलोमीटर दूर है व दिल्ली सरकार की 1639 अनाधिकृत कालोनियों की सूची में 240 नम्बर पर सूचीबद्ध है व हम लोग यमुना फ्रन्ट पर नही आते। हमारे बाद हरियाणा के अगवानपुर गांव व सेहतपुर गांव हैं व कुछ कालोनियाँ व सैक्टर एरिया भी आता है तब कहीं जाकर यमुना नदी बहती है, इसीलिये हम लोग ओ जोन के दायरे में नहीं आते है।

अतः आपसे हमारा विनम्र निवेदन है कि आप कृपया हमारी लखपत कालोनी भाग—2 कालोनी को ओ जोन से निकालकर एफ जोन में डालने की कृपा करे। हम आपके सदैव आभारी रहेंगें।

आपका आज्ञाकारी

(महेश कर्दम)
अध्यक्ष

प्रतिलिपिः—
1— माननीय उपराज्यपाल, राजनिवास, दिल्ली
2— माननीय उपाध्यक्ष, दिल्ली विकास प्राधिकरण, नई दिल्ली।
3— माननीय निदेशक (योजना) एमपीआर दिल्ली विकास प्राधिकरण, नई दिल्ली।
4— माननीय आयुक्त, दिल्ली नगर निगम, नई दिल्ली।
5— माननीय मुख्य सचिव, शहरी विकास विभाग, दिल्ली सरकार
6— श्री रमेश कुमार माननीय सांसद दक्षिण दिल्ली।
7— श्री रामसिंह नेताजी, माननीय विधायक, बदरपुर, नई दिल्ली।

विकासशील वेलफेयर एसोशिएसन (रजि.)

'ए' ब्लाक, मीठापुर विस्तार पार्ट–II, नई दिल्ली – 110 044

क्रमांक : 15/ VSWA/ 2011

दिनांक : 16.11.2011

श्री कमलनाथ जी,
माननीय शहरी विकास मंत्री,
भारत सरकार,
निर्माण भवन, नई दिल्ली।

1639/128

विषयः- मास्टर प्लान 2021 में दिल्ली विकास प्राधिकरण के द्वारा मीठापुर विस्तार ए ब्लाक 1639/174 को ओ जोन से निकालकर एफ जोन में डाले जाने का अनुरोध।

श्रीमानजी,

इस पत्र के द्वारा आपसे विनती करना चाहता हूँ कि हमारी रेजीडैन्टस वैलफेयर एसोसिएशन मीठापुर विस्तार ए ब्लाक 1639/174 का प्रतिनिध्त्वि करती हैं। दिल्ली विकास प्राधिकरण के द्वारा दिल्ली मास्टर प्लान 2021 में हमारी कालोनी को ओ जोन में दर्शाया गया हैं, जो कि सरासर गलत है। हमारी कालोनी यमुना नदी से लगभग 6.5 किलोमीटर दूर है व दिल्ली सरकार की 1639 अनाधिकृत कालोनियों की सूची में 174 नम्बर पर सूचीबद्ध है व हम लोग यमुना फ्रन्ट पर नहीं आते। हमारे बाद हरियाणा के बसन्तपुर गांव, ईस्मायलपुर गांव, सेहतपुर गांव व अगवानपुर गांव हैं व कुछ कालोनियाँ व सैक्टर एरिया भी आता है तब कहीं जाकर यमुना नदी बहती है, इसीलिये हम लोग ओ जोन के दायरे में नहीं आते है।

अतः आपसे हमारा विनम्र निवेदन है कि आप कृपया हमारी कालोनी को ओ जोन से निकालकर एफ जोन में डालने की कृपा करे। हम आपके सदैव आभारी रहेंगें।

आपका आज्ञाकारी,

(सरोज यादव)
अध्यक्ष

प्रतिलिपिः-

1- माननीय उपराज्यपाल, राजनिवास, दिल्ली
2- माननीय उपाध्यक्ष, दिल्ली विकास प्राधिकरण, नई दिल्ली।
3- माननीय निदेशक (योजना) एमपीआर दिल्ली विकास प्राधिकरण, नई दिल्ली।
4- माननीय आयुक्त, दिल्ली नगर निगम, नई दिल्ली।
5- माननीय मुख्य सचिव, शहरी विकास विभाग, दिल्ली सरकार
6- श्री रमे-1 कुमार माननीय सांसद दक्षिण दिल्ली।
7- श्री रामसिंह नेताजी, माननीय विधायक, बदरपुर, नई दिल्ली।

RESIDENT WELFARE ASSOCIATION

Regd. S-21571/9

B4/ 126 Sindhu Farm Road Mithapur Exnt. Badarpur New Delhi – 110044

Ref No.........

Date.......

श्री कमलनाथ जी,
माननीय शहरी विकास मंत्री,
भारत सरकार,
निर्माण भवन, नई दिल्ली।

विषयः– मास्टर प्लान 2021 में दिल्ली विकास प्राधिकरण के द्वारा श्री कालोनी 1639/14, मीठापुर विस्तार बी ब्लाक 1639/1272 व मीठापुर विस्तार 1639/1300 को गलत तरीके से ओ जोन में दर्शाने के संदर्भ में।

श्रीमानजी,

इस पत्र के द्वारा आपसे विनती करना चाहता हूँ कि हमारी रेजीडैन्टस वैलफेयर एसोसिएशन तीन कालोनियों श्री कालोनी 1639/14, मीठापुर विस्तार बी ब्लाक 1639/1272 व मीठापुर विस्तार 1639/1300 का प्रतिनिध्वि करती हैं। दिल्ली विकास प्राधिकरण के द्वारा दिल्ली मास्टर प्लान 2021 में हमारी इन तीनों कालोनियों को ओ जोन में दर्शाया गया हैं, जो कि सरासर गलत है। हमारी यह तीनों कालोनियों मीठापुर गांव के साथ लगती है व यमुना नदी से लगभग 8 किलोमीटर दूर है व दिल्ली सरकार की 1639 अनाधिकृत कालोनियों की सूची में सूचीबद्ध है व हम लोग यमुना फ्रन्ट पर नही आते। हमारे बाद दिल्ली की अनेक कालोनियों के अलावा हरियाणा के अगवानपुर गांव व सेहतपुर गांव हैं व कुछ कालोनियाँ व सैक्टर एरिया भी आता है तब कहीं जाकर यमुना नदी बहती है, इसीलिये हम लोग ओ जोन के दायरे में नहीं आते है

अंतः आपसे हमारा विनम्र निवेदन है कि आप कृपया हमारी इन तीनों कालोनियों को ओ जोन से निकालकर एफ जोन में डालने की कृपा करे। हम आपके सदैव आभारी रहेंगें।

आपका आज्ञाकारी

Resident Welfare Association (Regd.)

Meethapur Extn. New Delhi-44

(मोहन चन्द तिवारी)

अध्यक्ष

प्रतिलिपीः–

1– माननीय उपराज्यपाल, राजनिवास, दिल्ली
2– माननीय उपाध्यक्ष, दिल्ली विकास प्राधिकरण, नई दिल्ली।
3– माननीय निदेशक (योजना) एमपीआर दिल्ली विकास प्राधिकरण, नई दिल्ली।
4– माननीय आयुक्त, दिल्ली नगर निगम, नई दिल्ली।
5– माननीय मुख्य सचिव, शहरी विकास विभाग, दिल्ली सरकार
6– श्री रमेश कुमार माननीय सांसद दक्षिण दिल्ली।
7– श्री रामसिंह नेताजी, माननीय विधायक, बदरपुर, नई दिल्ली।

(President)
Mohan Chand Tiwari
Mob 9540880122,
9818187811 9717868484

(Vice President)
Sanjeev Secretary

(General Secretary)
U.B. Giri

(Secretary)
L.R. Sharma

JAN SUDHAR SAMITI (REGD.)

181/8, SHIVPURI, MITHAPUR EXTENTION
BADARPUR, NEW DELHI - 110 044
TELE. NO. 011-26666123

Surya Nath Rai
(President)
Ph. No. 2666 6123
Mob.: 2028 2175

Gayatri Devi
(Vice President)
Mob.: 99682 58541

Suresh Kumar
(Chief Secretary)
Mob.: 98108 05041

Ishwar Dayal
(Joint Secretary)
Mob.: 99101 50839

Prem Pal Singh
(Cashier)
Mob.: 93502 38648

श्री कमलनाथ जी,
माननीय शहरी विकास मंत्री,
भारत सरकार,
निर्माण भवन, नई दिल्ली।

विषयः– मास्टर प्लान 2021 में दिल्ली विकास प्राधिकरण के द्वारा शिवपुरी 1639/414 को ओ जोन में दर्शाने के संदर्भ में।

मान्यवर जी,

इस पत्र के द्वारा आपसे विनती करना चाहता हूँ कि दिल्ली विकास प्राधिकरण के द्वारा दिल्ली मास्टर प्लान 2021 में हमारी कालोनी शिवपुरी को ओ जोन में दर्शाया गया हैं, जो कि सरासर गलत है। हमारी कालोनी शिवपुरी यमुना नदी से लगभग 8 किलोमीटर दूर है व दिल्ली सरकार की 1639 अनाधिकृत कालोनियों की सूची में 414 नम्बर पर दर्ज है व हम लोग यमुना फ्रन्ट पर नही आते। हमारे बाद दिल्ली की अनेक कालोनियों के अलावा हरियाणा के सेहतपुर गांव व अगवानपुर गांव हैं व कुछ कालोनियाँ व सैक्टर एरिया भी आता है तब कहीं जाकर यमुना नदी बहती है इसीलिये हम लोग ओ जोन के दायरे में नहीं आते है

अतः आपसे हमारा विनम्र निवेदन है कि आप कृपया हमारी कालोनी शिवपुरी को ओ जोन से निकालकर एफ जोन में डालने की कृपा करे। हम आपके सदैव आभारी रहेंगें।

आपका आज्ञाकारी,
प्रधान SRai
जन सुधार समिति
181/8 शिवपुरी
(सूर्यनाथ राय)
प्रधान

प्रतिलिपीः–
1– माननीय उपराज्यपाल, राजनिवास, दिल्ली
2– माननीय उपाध्यक्ष, दिल्ली विकास प्राधिकरण, नई दिल्ली।
3– माननीय निदेशक (योजना) एमपीआर दिल्ली विकास प्राधिकरण, नई दिल्ली।
4– माननीय आयुक्त, दिल्ली नगर निगम, नई दिल्ली।
5– माननीय मुख्य सचिव, शहरी विकास विभाग, दिल्ली सरकार
6– श्री रमेश कुमार माननीय सांसद दक्षिण दिल्ली।
7– श्री रामसिंह नेताजी. माननीय विधायक, बदरपुर, नई दिल्ली।

PRINCE COLONY RESIDENTS WELFARE ASSOCIATION (Regd.)

D-68, Prince Colony (Behind Krishna Modern Public School) Hari Nagar Extn.-III, Badarpur, New Delhi-110044 Tel.: 9910775671, 9810254637, 9868853829, 9810276884

PCRWA/........................ Dated:-......................

Pardhan
Md. Ezzajuddin
9910775671

Hony Gen. Secretary
Choudhary Shubhash
9868853829

Joint Secretary
Ramesh Chand
9899850351

President
Sh. P.K. Jha
9810254637

Vice Presidents
Vijay Shankar
9810276884

Treasurer
R.K. Dutta
9810661690

P.R.O
Ganesh Kumar
9871292868

श्री कमलनाथ जी,
माननीय शहरी विकास मंत्री,
भारत सरकार,
निर्माण भवन, नई दिल्ली।

विषयः– मास्टर प्लान 2021 में दिल्ली विकास प्राधिकरण के द्वारा लखपत कालोनी भाग–2 1639/596 को एफ जोन में डाले जाने का अनुरोध।

श्रीमानजी,

इस पत्र के द्वारा आपसे विनती करना चाहता हूँ कि हमारी रेजीडेन्ट्स वैलफेयर एसोसिएशन प्रिन्स कालोनी हरीनगर विस्तार भाग–3 1639/596 का प्रतिनिध्तिव करती हैं। दिल्ली विकास प्राधिकरण के द्वारा दिल्ली मास्टर प्लान 2021 में हमारी कालोनी को ओ जोन में दर्शाया गया हैं, जो कि सरासर गलत है। हमारी कालोनी यमुना नदी से लगभग 7 किलोमीटर दूर है व दिल्ली सरकार की 1639 अनाधिकृत कालोनियों की सूची में 596 नम्बर पर सूचीबद्ध है व हम लोग यमुना फन्ट पर नही आते। हमारे बाद बदरपुर विधानसभा क्षेत्र की कुछ और कालोनियां व हरियाणा के बसन्तपुर गांव, ईस्मायलपुर गांव व अगवानपुर गांव हैं व कुछ कालोनियाँ व सैक्टर एरिया भी आता है तब कहीं जाकर यमुना नदी बहती है, इसीलिये हम लोग ओ जोन के दायरे में नहीं आते है।

अतः आपसे हमारा विनम्र निवेदन है कि आप कृपया हमारी कालोनी को ओ जोन से निकालकर एफ जोन में डालने की कृपा करे। हम आपके सदैव आभारी रहेंगें।

आपका आज्ञाकारी,
कार्यालय : D-36, ...
बदरपुर नई दिल्ली-44
(मौ. इजाजुद्दीन)
प्रधान

प्रतिलिपिः–

1– माननीय उपराज्यपाल, राजनिवास, दिल्ली
2– माननीय उपाध्यक्ष, दिल्ली विकास प्राधिकरण, नई दिल्ली।
3– माननीय निदेशक (योजना) एमपीआर दिल्ली विकास प्राधिकरण, नई दिल्ली।
4– माननीय आयुक्त, दिल्ली नगर निगम, नई दिल्ली।
5– माननीय मुख्य सचिव, शहरी विकास विभाग, दिल्ली सरकार
6– श्री रमेश कुमार माननीय सांसद दक्षिण दिल्ली।
7– श्री रामसिंह नेताजी, माननीय विधायक, बदरपुर, नई दिल्ली।

GAGAN VIHAR RESIDENTS WELFARE ASSOCIATION (Regd.)

Gagan Vihar, (Near Molar Band Sr. Sec. School) Badarpur New Delhi-110044

Regd. No. S-29659/96

PRESIDENT :
✦ Lekh Ram
Mob. : ~~9868859536~~
Res. : ~~26661713~~
9868109784

VICE PRESIDENT :
✦ Pramod Tiwari
Mob. : 9810726769
Res : 26662006

GEN. SECRETARY :
✦ Godam Singh Yadav
Mob. : 9873731547

JOINT SECRETARY :
✦ M. P. Rajauria
Mob. : 9213925942
✦ V. Prakash Sharma
Mob : 9350976109

TREASURER :
✦ Deep Chand Sharma
Mob. : 9968211625
Res. : 26661122

✦ A. M. Tripathi
Mob : 9990106947

ADVISER :
✦ Tek Chand Sharma
Advocate (High Court)
Mob. : 9213492093

Ref No.............. Date................

श्री कमलनाथ जी,
माननीय शहरी विकास मंत्री,
भारत सरकार,
निर्माण भवन, नई दिल्ली।

विषयः– मास्टर प्लान 2021 में दिल्ली विकास प्राधिकरण के द्वारा गगन विहार 1639/284 को ओ जोन से निकालकर एफ जोन में डाले जाने का अनुरोध।

श्रीमानजी,

इस पत्र के द्वारा आपसे विनती करना चाहता हूँ कि हमारी रेजीडेन्टस वैलफेयर एसोसिएशन गगन विहार (1639/284) का प्रतिनिध्तिव करती हैं। दिल्ली विकास प्राधिकरण के द्वारा दिल्ली मास्टर प्लान 2021 में हमारी कालोनी को ओ जोन में दर्शाया गया हैं, जो कि सरासर गलत है। हमारी कालोनी यमुना नदी से लगभग 8 किलोमीटर दूर है व दिल्ली सरकार की 1639 अनाधिकृत कालोनियों की सूची में 284 नम्बर पर सूचीबद्ध है व हम लोग यमुना फन्ट पर नही आते। हमारे बाद दिल्ली की अनेक कालोनियों के अलावा हरियाणा के अगवानपुर गांव व सेहतपुर गांव हैं व कुछ कालोनियाँ व सैक्टर एरिया भी आता है तब कहीं जाकर यमुना नदी बहती है, इसीलिये हम लोग ओ जोन के दायरे में नहीं आते है।

अतः आपसे हमारा विनम्र निवेदन है कि आप कृपया हमारी गगन विहार कालोनी को ओ जोन से निकालकर एफ जोन में डालने की कृपा करे। हम आपके सदैव आभारी रहेंगें।

आपका आज्ञाकारी,
President.
Gagan Vihar Residents-
Welfare Association (Regd.)
Badarpur, New Delhi-44
(लेख राम)
अध्यक्ष

प्रतिलिपिः–
1– माननीय उपराज्यपाल, राजनिवास, दिल्ली
2– माननीय उपाध्यक्ष, दिल्ली विकास प्राधिकरण, नई दिल्ली।
3– माननीय निदेशक (योजना) एमपीआर दिल्ली विकास प्राधिकरण, नई दिल्ली।
4– माननीय आयुक्त, दिल्ली नगर निगम, नई दिल्ली।
5– माननीय मुख्य सचिव, शहरी विकास विभाग, दिल्ली सरकार
6– श्री रमेश कुमार माननीय सांसद दक्षिण दिल्ली।
7– श्री रामसिंह नेताजी, माननीय विधायक, बदरपुर, नई दिल्ली।

1-60809

MANAV KALYAN VIKAS SAMITI (Reg.)..........

MEETHA PUR EXTN. PART-III

H.No.-32, Gali No.-3, Meetha Pur Extn.Part-III Badarpur New Delhi-110044
Phone.: 011-20593346, 9811545153

Ref........................ Date..................................

श्री कमलनाथ जी,
माननीय शहरी विकास मंत्री,
भारत सरकार,
निर्माण भवन, नई दिल्ली।

विषयः— मास्टर प्लान 2021 में दिल्ली विकास प्राधिकरण के द्वारा मीठापुर विस्तार पार्ट—3 1639/847 को ओ जोन में दर्शाने के संदर्भ में।

मान्यवर जी,

इस पत्र के द्वारा आपसे विनती करना चाहता हूँ कि दिल्ली विकास प्राधिकरण के द्वारा दिल्ली मास्टर प्लान 2021 में हमारी कालोनी को ओ जोन में दर्शाया गया हैं, जो कि सरासर गलत है। ओ—जोन का दायरा यमुना नदी के किनारे होता है जबकि हमारी कालोनी मीठापुर विस्तार भाग—3 यमुना नदी से लगभग 7 किलोमीटर दूर है व दिल्ली सरकार की 1639 अनाधिकृत कालोनियों की सूची में दर्ज है व हम लोग यमुना फ्रन्ट पर नही आते। हमारे बाद दिल्ली की अनेक कालोनियों के अलावा हरियाणा के सेहतपुर गांव व अगवानपुर गांव हैं व कुछ कालोनियाँ भी आती है तब कहीं जाकर यमुना नदी बहती है इसीलिये हम लोग ओ जोन के दायरे में नहीं आते है

अतः आपसे हमारा विनम्र निवेदन है कि आप कृपया हमारी कालोनी मीठापुर विस्तार भाग—3 को ओ जोन से निकालकर एफ जोन में डालने की कृपा करे। हम आपके सदैव आभारी रहेंगें।

आपका आज्ञाकारी,
PRESIDENT
MANAV KALYAN VIKAS SAMITI (Regd.)
New Delhi
(मृत्युंजय नन्द तिवारी)
अध्यक्ष

प्रतिलिपिः—
1— माननीय उपराज्यपाल, दिल्ली
2— माननीय उपाध्यक्ष, दिल्ली विकास प्राधिकरण
3— माननीय निदेषक (योजना) एमपीआर दिल्ली विकास प्राधिकरण
4— माननीय आयुक्त, दिल्ली नगर निगम
5— माननीय मुख्य सचिव, शहरी विकास विभाग, दिल्ली सरकार
6— श्री रमेश कुमार माननीय सांसद दक्षिण दिल्ली।
7— श्री रामसिंह नेताजी, माननीय विधायक, बदरपुर, नई दिल्ली।

Regd. No. S-31841/1997

Residents Welfare Association

SHAKTI VIHAR, BLOCK-A

House No. 93, Gali No. 4, Shakti Vihar, Block-A, Near Meethapur Chowk, Badarpur, Delhi-110044

President : K.C. Gautam 9871415131 **General Sic. : Satish Sharma 9911441027**

Ref. No. ....   Date :.....11/11/11.........

माननीय निदेशक (योजना)
एमपीआर दिल्ली विकास प्राधिकरण,
विकास मीनार, 6वीं मंजिल,
नई दिल्ली-110002

विषय:- मास्टर प्लान 2021 में दिल्ली विकास प्राधिकरण के द्वारा शक्ति विहार ब्लाक ए मीठापुर (1639/186) कालोनी को ओ जोन (Zone O) से निकालकर एफ जोन (Zone F) में डाले जाने हेतू निवेदन।

महोदय,

आपसे विनम्र निवेदन है कि **शक्ति विहार ब्लाक ए** (1639/186) दिल्ली सरकार की 1639 अनाधिकृत कालोनियों की सूची में 186 पर सूचीबद्ध हैं। दिल्ली विकास प्राधिकरण के द्वारा तैयार व लागू किया गया मास्टर प्लान 2021 में हमारी कालोनी को जोन ओ (Zone O) में रखा गया है, जोकि सरासर गलत है। माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा पारित आदेशों के अनुसारयमुना नदी का अग्रभाग/यमुना बैड या यमुना नदी की धारा से दोनो ओर 300 मीटर के क्षेत्र में आ रहे इलाके के ही संरक्षण पर जोर दिया गया है।

हमारी कालोनी **शक्ति विहार ब्लाक ए मीठापुर** (186) यमुना नदी से लगभग काफी दूरी पर है व हम लोग यमुना नदी के किनारे या अग्रभाग पर नहीं बैठे है। हमारी कालोनी के बाद दिल्ली की कुछ और कालोनियाँ हैं व उसके बाद हरियाणा के गांव बसन्तपुर, ईस्मायलपुर, अगवानपुर, सेहतपुर व हरियाणा की कुछ कालोनियाँ भी आती है व उसके बाद कहीं जाकर यमुना नदी बहती है, जबकि दिल्ली विकास प्राधिकरण के द्वारा यमुना नदी से 1 किलोमीटर के दायरे में आ रही कालोनियों को पी जोन में रखा गया है, फिर हम तो लगभग 6 किलोमीटर की दूरी पर बैठे है।

दिल्ली विकास प्राधिकरण ने हमारे क्षेत्र के बराबर में एफ जोन लागू किया है। अतः आपसे हमारा विनम्र निवेदन है कि आप कृपया हमारी कालोनी को भी एफ जोन की श्रेणी में ही रखें। हम आपके सदैव आभारी रहेंगें।

आपका आज्ञाकारी,

(के.सी. गौतम)
प्रधान

K. C. GAUTA
President
Residents Welfare Association
Shakti Vihar, Block A, (Regd.)
Meethapur, Badarpur, N.Delhi

प्रतिलिपी:-

1- माननीय उपराज्यपाल, राजनिवास, दिल्ली
2- श्री कमलनाथ जी, माननीय शहरी विकास मंत्री, भारत सरकार, 16/11/11
3- श्री रमेश कुमार माननीय सांसद दक्षिण दिल्ली।
4- श्री रामसिंह नेताजी माननीय विधायक, बदरपुर विधानसभा क्षेत्र।

Sudarshan Park Welfare Association

REGD. NO. S-23932

CALOR SCHOOL ROAD, MITHAPUR EXTN., NEW DELHI-110 044

Ref. No. Dated.........................

श्री कमलनाथ जी,
माननीय शहरी विकास मंत्री,
भारत सरकार,
नई दिल्ली।

विषय:- मास्टर प्लान 2021 में दिल्ली विकास प्राधिकरण के द्वारा सुदर्शन पार्क (1639/327) कालोनी को ओ जोन (Zone O) से निकालकर एफ जोन (Zone F) में डाले जाने हेतू निवेदन।

महोदय,

आपसे विनम्र निवेदन है कि सुदर्शन पार्क (1639/327) दिल्ली सरकार की 1639 अनाधिकृत कालोनियों की सूची में 327 पर सूचीबद्ध हैं। दिल्ली विकास प्राधिकरण के द्वारा तैयार व लागू किया गया मास्टर प्लान 2021 में हमारी कालोनी को जोन ओ (Zone O) में रखा गया है, जोकि सरासर गलत है। माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा पारित आदेशों के अनुसार यमुना नदी का अग्रभाग/यमुना बैड या यमुना नदी की धारा से दोनो ओर 300 मीटर के क्षेत्र में आ रहे इलाके का संरक्षण करने की बात कही है।

हमारी कालोनी सुदर्शन पार्क (1639/327) यमुना नदी से लगभग काफी दूरी पर है व हम लोग यमुना नदी के अग्रभाग पर नहीं बैठे है। हमारी कालोनी के बाद दिल्ली की कुछ और कालोनियाँ हैं व उसके बाद हरियाणा के गांव अगवानपुर, सेहतपुर व हरियाणा की कुछ कालोनियाँ व सैक्टर एरिया भी आता है व उसके बाद कहीं जाकर यमुना नदी बहती है, जबकि दिल्ली विकास प्राधिकरण के द्वारा यमुना नदी से 1 किलोमीटर के दायरे में आ रही कालोनियों को पी जोन में रखा गया है, फिर हम तो लगभग 6 किलोमीटर की दूरी पर बैठे है।

दिल्ली विकास प्राधिकरण ने हमारे क्षेत्र के बराबर में एफ जोन लागू किया है। अतः आपसे हमारा विनम्र निवेदन है कि आप कृपया हमारी कालोनी को भी एफ जोन की श्रेणी में ही रखें। हम आपके सदैव आभारी रहेंगें।

(मुकेश गिरी)
अध्यक्ष

प्रतिलिपी:-

1- माननीय उपराज्यपाल, राजनिवास, दिल्ली
2- माननीय निदेशक (योजनो), एमपीआर दिल्ली विकास प्राधिकरण,विकास मीनार, 6वीं मंजिल, नई दिल्ली-110002
3- श्री रमेश कुमार माननीय सांसद दक्षिण दिल्ली।
4- श्री रामसिंह नेताजी माननीय विधायक, बदरपुर विधानसभा क्षेत्र।

ई-ब्लॉक रैजिडैन्ट वैलफेयर एसोसिएशन (रजि०)

हरी नगर, पार्ट-II, बदरपुर, नई दिल्ली-44 रजि नं. S-31613/1997

संदर्भ संख्या-ई.ह.न.पा.II/

दिनांक ....

श्री कमलनाथ जी,
माननीय शहरी विकास मंत्री,
भारत सरकार,
निर्माण भवन, नई दिल्ली।

विषयः— मास्टर प्लान 2021 में दिल्ली विकास प्राधिकरण के द्वारा हरीनगर विस्तार भाग—2, ई ब्लाक 1639/841 को ओ जोन में दर्शाने के संदर्भ में।

मान्यवर जी,

इस पत्र के द्वारा आपसे विनती करना चाहता हूँ कि दिल्ली विकास प्राधिकरण के द्वारा दिल्ली मास्टर प्लान 2021 में हमारी कालोनी को ओ जोन में दर्शाया गया हैं, जो कि सरासर गलत है। ओ—जोन का दायरा यमुना नदी की धारा से 300 मीटर तक होता है जबकि हमारी कालोनी हरीनगर विस्तार भाग—2 ई ब्लाक यमुना नदी से लगभग 4—5 किलोमीटर दूर है व दिल्ली सरकार की 1639 अनाधिकृत कालोनियों की सूची में दर्ज है व हम लोग यमुना फ्रन्ट पर नही आते। हमारे बाद दिल्ली की अनेक कालोनियों के अलावा हरियाणा के गांव व कुछ कालोनियाँ आती है तब कहीं जाकर यमुना नदी बहती है इसीलिये हम लोग ओ जोन के दायरे में नहीं आते है

अतः आपसे हमारा विनम्र निवेदन है कि आप कृपया हमारी कालोनी हरीनगर विस्तार भाग—2 ई ब्लाक को ओ जोन से निकालकर एफ जोन में डालने की कृपा करे। हम आपके सदैव आभारी रहेंगें।

आपका आज्ञाकारी,

(पवन मिश्रा)
अध्यक्ष

प्रतिलिपिः—

1— माननीय उपराज्यपाल, दिल्ली
2— माननीय उपाध्यक्ष, दिल्ली विकास प्राधिकरण
3— माननीय निदेषक (योजना) एमपीआर दिल्ली विकास प्राधिकरण
4— माननीय ओयुक्त, दिल्ली नगर निगम
5— माननीय मुख्य सचिव, शहरी विकास विभाग, दिल्ली सरकार
6— श्री रमेश कुमार माननीय सांसद दक्षिण दिल्ली।
7— श्री रामसिंह नेताजी, माननीय विधायक, बदरपुर, नई दिल्ली।

सचिव अध्यक्ष

ॐ

HARSH VIHAR RESIDENTS WELFARE ASSOCIATION

C-BLOCK, HARSH VIHAR, NAGAR MARKET, HARI NAGAR PART-III, BADARPUR
NEW DELHI-110 044

- Sh. Arun Singh
  Chairman
  Cell: 9313980897
- Sh. Khjan Singh
  President
  Cell: 9873022587
- Sh. Dushyant Kumar
  Vice President
  Cell. 9313044643
- Sh. SN Mishra
  Secretary
  Cell: 9871348906
- Sh. Gopal Sharma
  Cashier
  Cell: 9718045914
- Sh. Rajesh Roy
  Vice-Chairman
  Cell: 9811258625

Ref. No. HVRWA/................

Dated......11/11/11......

श्री कमलनाथ जी,
माननीय शहरी विकास मंत्री,
भारत सरकार,
निर्माण भवन, नई दिल्ली।

विषयः– मास्टर प्लान 2021 में दिल्ली विकास प्राधिकरण के द्वारा हर्ष विहार 1639/436 को एफ जोन में डाले जाने का अनुरोध।

श्रीमानजी,

इस पत्र के द्वारा आपसे विनती करना चाहता हूँ कि हमारी रेजीडैन्टस वैलफेयर एसोसिएशन हर्ष विहार 1639/436 का प्रतिनिध्तिव करती हैं। दिल्ली विकास प्राधिकरण के द्वारा दिल्ली मास्टर प्लान 2021 में हमारी कालोनी को ओ जोन में दर्शाया गया हैं, जो कि सरासर गलत है। हमारी कालोनी यमुना नदी से लगभग 7 किलोमीटर दूर है व दिल्ली सरकार की 1639 अनाधिकृत कालोनियों की सूची में 436 नम्बर पर सूचीबद्ध है व हम लोग यमुना फ्रन्ट पर नही आते। हमारे बाद बदरपुर विधानसभा क्षेत्र की कुछ और कालोनियां व हरियाणा के बसन्तपुर गांव, ईस्मायलपुर गांव, सेहतपुर गांव व अगवानपुर गांव हैं व कुछ कालोनियाँ व सैक्टर एरिया भी आता है तब कहीं जाकर यमुना नदी बहती है, इसीलिये हम लोग ओ जोन के दायरे में नहीं आते है।

अतः आपसे हमारा विनम्र निवेदन है कि आप कृपया हमारी कालोनी को ओ जोन से निकालकर एफ जोन में डालने की कृपा करे। हम आपके सदैव आभारी रहेंगें।

आपका आज्ञाकारी

(खजान सिंह भाटी)
अध्यक्ष

प्रतिलिपीः–
1– माननीय उपराज्यपाल, राजनिवास, दिल्ली
2– माननीय उपाध्यक्ष, दिल्ली विकास प्राधिकरण, नई दिल्ली।
3– माननीय निदेशक (योजना) एमपीआर दिल्ली विकास प्राधिकरण, नई दिल्ली।
4– माननीय आयुक्त, दिल्ली नगर निगम, नई दिल्ली।
5– माननीय मुख्य सचिव, शहरी विकास विभाग, दिल्ली सरकार
6– श्री रमेश कुमार माननीय सांसद दक्षिण दिल्ली।
7– श्री रामसिंह नेताजी, माननीय विधायक, बदरपुर, नई दिल्ली।

जन सेवा समाज कल्याण समिति (रजिस्टर्ड)

एकता विहार, मीठापुर विस्तार, बदरपुर, नई दिल्ली–११००४४

क्रमांक J.S.S.K.S./843/2011 दिनांक..... ....

अध्यक्ष : पारसराय

महासचिव : सी० एल० यादव

श्री कमलनाथ जी,
माननीय शहरी विकास मंत्री,
भारत सरकार,
निर्माण भवन, नई दिल्ली।

विषयः- मास्टर प्लान 2021 में दिल्ली विकास प्राधिकरण के द्वारा एकता विहार 1639/275 को एफ जोन में डाले जाने का अनुरोध।

श्रीमानजी,

इस पत्र के द्वारा आपसे विनती करना चाहता हूँ कि हमारी रेजीडैन्टस वैलफेयर एसोसिए-न एकता विहार 1639/275 का प्रतिनिध्तिव करती हैं। दिल्ली विकास प्राधिकरण के द्वारा दिल्ली मास्टर प्लान 2021 में हमारी कालोनी को ओ जोन में द-र्ााया गया हैं, जो कि सरासर गलत है। हमारी कालोनी यमुना नदी से लगभग 7 किलोमीटर दूर है व दिल्ली सरकार की 1639 अनाधिकृत कालोनियों की सूची में 275 नम्बर पर सूचीबद्ध है व हम लोग यमुना फ्रन्ट पर नही आते। हमारे बाद हरियाणा के बसन्तपुर गांव, ईस्मायलपुर गांव, सेहतपुर गांव व अगवानपुर गांव हैं व कुछ कालोनियाँ व सैक्टर एरिया भी आता है तव कहीं जाकर यमुना नदी बहती है, इसीलिये हम लोग ओ जोन के दायरे में नहीं आते है।

अतः आपसे हमारा विनम्र निवेदन है कि आप कृपया हमारी कालोनी को ओ जोन से निकालकर एफ जोन में डालने की कृपा करे। हम आपके सदैव आभारी रहेंगें।

आपका आज्ञाकारी,

Jan Sewa Samaj Kalyan Samiti (Regd)

(पारस राय)
अध्यक्ष

प्रतिलिपीः-

1- माननीय उपराज्यपाल, राजनिवास, दिल्ली
2- माननीय उपाध्यक्ष, दिल्ली विकास प्राधिकरण, नई दिल्ली।
3- माननीय निदे-ाक (योजना) एमपीआर दिल्ली विकास प्राधिकरण, नई दिल्ली।
4- माननीय आयुक्त, दिल्ली नगर निगम, नई दिल्ली।
5- माननीय मुख्य सचिव, शहरी विकास विभाग, दिल्ली सरकार
6- श्री रमे-ा कुमार माननीय सांसद दक्षिण दिल्ली।
7- श्री रामसिंह नेताजी, माननीय विधायक, बदरपुर, नई दिल्ली।

जन कल्याण

आवासिय जनकल्याण समिति (रजि)

म.न. 3, गली न, 2, लखपत कालोनी पार्ट 2, बदरपुर, नई दिल्ली 110044
9717819860 / 9711188159

दिनॉक. 8 / 11 / 2011

श्री कमलनाथ जी,
माननीय शहरी विकास मंत्री,
भारत सरकार,
निर्माण भवन, नई दिल्ली।

विषय: मास्टर प्लान 2011 में दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा लखपत कालोनी पार्ट 2 को ओ जोन (Zone O) से हटा कर एफ जोन (Zone F) में डाले जाने हेतु निवेदन।

महोदय,

आपसे विनम्र निवेदन है कि हमारी कालोनी लखपत कालोनी पार्ट 2, मीठापुर विस्तार, विघान सभा क्षेत्र बदरपुर, दिल्ली सरकार की 1639 अनाधिकृत कालोनियों की सूची में क्रमांक सख्या 226 तथा रजिस्ट्रेशन नम्बर 240 पर सूचीवद्ध है। तथा दिल्ली सरकार के अनाधिकृत कालोनी सेल के डिप्टी सेक्रेट्री द्वारा दिनांक 7 / 2 / 2011 को विकास कार्य के लिए जारी 733 कालोनियों की सूची में हमारी कालोनी का क्रमांक संख्या 128 तथा रजिस्ट्रेशन नम्बर 240 पर अंकित है। दिल्ली विकास प्रधिकरण के द्वारा तैयार व लागू किया गया मास्टर प्लान 2021 में हमारी कालोनी को जोन ओ (Zone O) में रखा गया है, जो कि सरासर गलत है। जोन ओ (Zone O) यमुना नदी का अग्रभाग / यमुना बैंड या यमुना नदी की धारा से दोनो ओर 300 मीटर के क्षेत्र मे आ रहे इलाके को ही माना गया है, जो कि माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा समय समय पर पारित आदेशो के अनुरूप है।

हमारी कालोनी लखपत कालोनी पार्ट 2, 1639 की सूची में क्रमांक संख्या 226 रजिस्ट्रेशन नम्बर 240 यमुना नदी से 8 किलोमीटर से भी ज्यादा दूरी पर है, हम लोग यमुना नदी के किनारे या अग्रभाग पर नही बैठे है। हमारी कालोनी के बाद साईं नगर, हरिजन बस्ती, गगन विहार, मोलडबन्द सीनियर सेकेण्डरी (सरकारी स्कूल) है तथा उसके बाद हरियणा के गॉव बसन्तपुर, इस्मायलपुर, अगवानपुर, सेतपुर व हरियाणा की कुछ कालोनियॉ भी आती है और उससे भी आगे यमुना नदी बहती है।

जन कल्याण

आवासिय जनकल्याण समिति (रजि)

म.न. 3, गली न, 2, लखपत कालोनी पार्ट 2, बदरपुर, नई दिल्ली 110044
9717819860 / 9711188159

महोदय, जब कि गीता कालोनी, लक्ष्मी नगर, शकरपुर, जैसी यमुना नदी के किनारे की कालोनियों को ओ जोन में नही रखा गया, जो यमुना नदी से मात्र 1 किलोमीटर की दूरी पर बसी हुई है, तो फिर हमारे साथ इस प्रकार का भेदभाव क्यों किया जा रहा है ?

महोदय, दिल्ली विकास प्राधिकरण ने क्षेत्र के बराबर में एफ जोन लागू किया है। अतः आप से हमारा विनम्र निवेदन है कि हमारी कालोनी को भी एफ जोन की श्रेणी में ही रखा जाय। हम आपके सदैव आभारी रहेंगे।

धन्यवाद।

कृते आवासिय जनकल्याण समिति

Ramlal

राम लाल गोस्वामी
अध्यक्ष

प्रतिलिपिः

1 माननीय उपराज्यपाल, दिल्ली
2 माननीय उपाध्यक्ष, दिल्ली विकास प्राधिकरण
3 माननीय निदेशक (योजना) एम पी आर दिल्ली विकास प्राधिकरण
4 माननीय आयुक्त दिल्ली नगर निगम
5 माननीय मुख्य सचिव, शहरी विकास विभाग दिल्ली सरकार
6 श्री रमेश कुमार माननीय सांसद दक्षिण दिल्ली
7 श्री राम सिंह नेता जी माननीय विधायक, बदरपुर विधानसभा क्षेत्र
8 माननीय एस डी एम कालका जी

Govt. Of NCT. Of Delhi
Urban Development Department
(Unauthorized Colonies Cell)
LIST OF APPLICANT UNAUTHORIZED COLONIES

SL. NO.	REGN. NO.	NAME OF UNAUTHORIZED COLONIES
1	1	Ladakh Budh Vihar Colony
2	2	Prem Nagar-II, J- Block, Kirari Suleman Nagar, Nangloi
3	3	Noor Nagar Extn., Jamia Nagar
4	4	Kotla Vihar Ph-II, Tilangpur
5	5	Bhawani Kunj behind Sector D-II, Vasant Kunj, New Delhi-70
6	6	Sangam Vihar, A-Block, New Delhi-62
7	7	Harijan Basti, Masoodpur near Pocket-B, Sector7,8,9, Vasant Kunj
8	8	Inder Prasth Colony Nathu Pura, Burari, Delhi-84
9	9	Krishna Enclave Opp. C.R.P.F. Camp, Dichaon Road, Jharoda Kalan
10	10	St. John Church Colony, Mehrauli, New Delhi-30
11	11	Prem Nagar-II,L.M.P.Q. Block, Kirari,Suleman Nagar, Nangloi, New Delhi
12	12	Prem Nagar-II, Kirari Suleman Nagar, Nangloi
13	13	Prem Nagar-II,N-O, Block, Kirari, Nangloi, Delhi
14	15	Somesh Vihar, Chhawla, Najafgarh
15	16	Shastri Park Extn., (Buland Masjid), Delhi-53
16	17	Balbir Nagar,Kirari Suleman Nagar, Nangloi, Delhi-41
17	18	Avadh Vihar,V-Block, Prem Nagar-II, Delhi-41
18	19	Hari Enclave, Part-II, Kirari Suleman Nagar
19	20	Vashu Vihar Colony Holambi Kalan
20	21	Ankur Vihar Colony Holambi Kalan
21	22	Aruna Asafali Road, Village Kishan Garh
22	23	Rajendra Park Extension Nangloi, Delhi-41

(रजि० नं०--एस-54111)

आवासीय कल्याण समिति

बी-153, जैतपुर विस्तार भाग-2, (खड्डा कालोनी)
बदरपुर, नई दिल्ली-110044

पत्रांक............ दिनांक 11-1-11

मो0 ईशा (प्रधान)
9873495443
9811156097

श्री कमलनाथ जी,
माननीय शहरी विकास मंत्री,
भारत सरकार,
निर्माण भवन, नई दिल्ली।

विषयः- मास्टर प्लान 2021 में दिल्ली विकास प्राधिकरण के द्वारा जैतपुर विस्तार भाग-2 1639/890 को ओ जोन में दर्षाने के संदर्भ में।

श्रीमानजी,

इस पत्र के द्वारा आपसे विनती करना चाहता हूँ कि दिल्ली विकास प्राधिकरण के द्वारा दिल्ली मास्टर प्लान 2021 में हमारी कालोनी को ओ जोन में दर्शाया गया हैं, जो कि गलत है। ओ-जोन का दायरा यमुना नदी की धारा से 300 मीटर तक होता है। हमारी जैतपुर विस्तार भाग-2 वर्ष 1989 से भी ज्यादा पुरानी कालोनी है व दिल्ली सरकार की 1639 अनाधिकृत कालोनियों की सूची में दर्ज है, व हमारी कालोनी यमुना नदी से 300 मीटर के दायरे से बाहर है इसीलिये हम लोग ओ जोन के दायरे में नहीं आते है

अतः आपसे हमारा विनम्र निवेदन है कि आप कृपया हमारी कालोनी जैतपुर विस्तार भाग-2 को ओ जोन से निकालकर एफ जोन में डालने की कृपा करे। हम आपके सदैव आभारी रहेंगें।

आपका आज्ञाकारी,
md. Isha
(मौ. ईशा)
अध्यक्ष

प्रतिलिपीः-
1- माननीय उपराज्यपाल, दिल्ली
2- माननीय उपाध्यक्ष, दिल्ली विकास प्राधिकरण
3- माननीय निदेषक (योजना) एमपीआर दिल्ली विकास प्राधिकरण
4- माननीय आयुक्त, दिल्ली नगर निगम
5- माननीय मुख्य सचिव, शहरी विकास विभाग, दिल्ली सरकार
6- श्री रमेश कुमार माननीय सांसद दक्षिण दिल्ली।

md. Isha
मो0 ईशा (प्रधान)
आवासीय कल्याण समिति (रजि.)
बी-153, जैतपुर विस्तार भाग-2
बदरपुर, नई दिल्ली

REGD. NO. S- 24695/93

HRI SAI NAGAR MEETHAPUR VISTAR
ESIDENT WELFARE ASSOCIATION (REGD.)

gd. Office:- 16/80, Gali No. 1, Sai Nagar, Meethapur Extn., New Delhi-
0044. Office Phone:- 011-26669777.

D.C. SAXENA (ADVOCATE)
(GENERAL SECRETARY)
MOBILE- 9811050159

CHET RAM VERMA (PRESIDENT) MOBELE- 9711889568

SHIVAKANT TIWARI (VICE-PRESEDENT) MOBILE- 9999745700

DATED. 11.11.2011.

Reference No.:- SAI/12/2011

To,

Shri Kamal Nath Jee
Hon'ble Minister of Urban Development
Government of India,
Nirman Bhawan, New Delhi-110001.

Subject:- Application/Request Letter to consider/put-up the 'Sai Nagar Meethapur Extn., Colony' in the 'F' – Zone in place of 'O' – Zone.

Sir,

With due respect We would like to request and submits before your goodself as under:-

1. That the Colony Sai Nagar Meethapur Extn., Badarpur is very old existed colony and same is in the process of regularization in the Govt. List and the name of the colony

he list of 1639 Colonies of Delhi is mentioned at the Serial. No. 256 and its stration No. 273.

ıt it is also pertinent to mention here that name in the list of Provisional gularization Certificate Distributed to the applicants of the unauthorized colonies mentioned at the Serial No. 207 vide registration No. 273.

at it is significant to mention here that the Master Plan 2021 and category of lonies prepared by the DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY name of our colony ıd Meethapur Ward has been mentioned in the 'O'- Zone Area which is absolutely rong, whereas the radius of 'O- Zone' Area is only up to 300 Meters from the both ides of the Yamuna River as per the orders and directions of the Hon'ble High Court of Delhi and our Colony/colonies are very far from the River Yamuna as same is about 6 to 8 Kilometere distance from the Yamuna River, so there is no possibility to consider our colony in the 'O-Zone' category, whereas there are several Multi Storied Govt. Institutions/Buildings and resettlement colonies allotted by the Govt. are situated in the near Yamuna River or in the Bank of the Yamuna River.

That our colony is not situated either in front of River Yamuna nor at the Bank of the River Yamuna.

That it is also important to mention here that after the Yamuna River there are many villages of Delhi and Faridabad Hariyana are situated and located first, for example , Village Madanpur Khadar, Village- Jasola, and many others of Delhi and Village- Basantpur, Ishmailpur, Agwanpur and Sehatpur etc. and thereafter our colony is located and there is no question to consider our colony in the 'O-Zone' and

on the contrary our nearby colonies are considered in the 'F-Zone' by the DDA hence this present request letter to consider our colony in the 'F-Zone'.

It is, therefore, most humbly and request fully prayed before your good self that as per the situation and circumstances mentioned herein above the our colony should be treated and considered in the 'F-Zone' in place of the 'O-Zone' in the interest and welfare of the public and lacs of the residents of the colonies.

We shall be very grateful and obliged.

Thanking you,

Yours faithfully,

Saxena

(D. C. SAXENA, ADVOCATE)

General Secretary

<u>Copy to:-</u>

1. Hon'ble Lt. Governor, Delhi.
2. The Vice-Chairman, Delhi Development Authority.
3. The Director (Planning), MPR, DDA.
4. The Commissioner, MCD, Civic Centre, Minto Rd, New Delhi.
5. The Chief Secretary, Department of Urban Development, Govt. of N.C.T. of Delhi.
6. Shri Ramesh Kumar, Hon'ble Member of Parliament, Delhi.
7. Shri Ram Singh Netaji, Hon'ble M.L.A., Badarpur Assembly, Delhi.
8. Smt. Sheila Dikshit Hon'ble CM. Delhi - 3, Motilal Nehru Rd, New Delhi. 110011

मोब. : [redacted]
9911968301
9911368301

नव वैशाली विकास समिति

(रजि॰ 33449)

एफ-ब्लॉक, प्रिंस कॉलोनी, हरी नगर विस्तार, भाग-3, बदरपुर, नई दिल्ली-110044

क्रमांक R.W.A RL/129/2011 दिनांक 10/11/2011

सेवा में,

माननीय श्री कमलनाथ जीं,
शहरी विकास मंत्री
भारत सरकार

विषय:–प्रिन्स कॉलोनी हरि नगर विस्तार पार्ट–3, बदरपुर को "O" जोन से "F" जोन में करने के संबंध में।

महाशय,

निवेदन यह हैं कि प्रिन्स कॉलोनी हरि नगर विस्तार पार्ट–3, 1990 से पहले की पूर्ण रूप से बसी हुई कॉलोनी हैं, जो दिल्ली सरकार के द्वारा पंजीकृत 1639 कॉलोनीयों के संख्या में 596 नं0 पर पंजीकृत है। प्रिन्स कॉलोनी को पास करने के लिए माननीय कांग्रेस अध्यक्षा श्रीमती सोनियां गॉधी जी ने दिनांक 17/09/2008 को अपने हाथो से क़ॉलोनी पास करने के लिए अस्थाई प्रमाण पत्र प्रदान किये थे। यह कॉलोनी यमुना नदी से लगभग 5,000 मी0 (5 कि0 मी0) से भी अधिक दूरी पर बसा हुआ है। इस कॉलोनी के आस–पास सैकड़ो वर्ष पूराने गॉवों एवं कॉलोनी बसी हुई है। किसी मानवीय भूल के कारण पूरे जैतपुर थाने को "O" जोन के अन्तर्गत रखा गया हैं, जबकि जैतपुर थाने की एक भी कॉलोनी "O"जोन के दायरे में नही आती है। "O"जोन का क्षेत्रफल यमुना नदी से 300 मीटर के दायरे में आती हैं।

इसलिए हमारे कॉलोनी एवं आस पास बसे कॉलोनियो को "O"जोन से हटा कर "F"जोन में कर दिया जाए इस कार्य के लिए हम सभी प्रिन्स कॉलोनी वासी आपके अभारी रहेगें।

सादर धन्यावाद

भवदीय
एकनाथ सिंह
प्रधान
R.W.A प्रिन्स कॉलोनी हरि नगर विस्तार पार्ट–3,
बदरपुर नई दिल्ली–110044

C.C

1. महामहिम उपराज्यपाल, दिल्ली सरकार
2. श्रीमती सोनिया गॉधी काग्रेसं अध्यक्ष
3. श्रीमती शीला दिक्षित मुख्यमंत्री दिल्ली सरकार
4. डॉ0 ए.के.वालिया शहरी विकास मंत्री, दिल्ली सरकार
5. सेकटरी, शहरी विकाश मंत्रालय भारत सरकार
6. श्री रमेश कुमार, सांसद बाहरी दिल्ली क्षेत्र
7. चौधरी राम सिंह नेता जी विधायक बदरपुर
8. श्री महेश अवाना निगम पार्षद, मिठापुर वार्ड 202
9. श्रीमती ममता शर्मा निगम पार्षद जैतपुर वाड 201

DELHI GOVERNMENT
TEAM DELHI • MAKING THINGS HAPPEN

Provisional

of Regularization

No. : F.1-33/UC/UD/2004/Pt.-III/ Dated 17/09/2008.

It is certified that the residents of Prince Colony, Hari Nagar Extn Pt-III, unauthorised colony, having Regd. number 596, represented through Sh/Ms. Eknath Singh (President/Secretary) of the Nav Vishal Vikas Samiti Society Ltd. (registered under the Society Registration Act, 1861) having registration number S-33449/1998 have fulfilled the requirement of Clause 4 of the Regulations for Regularization of unauthorised colonies in Delhi, notified by the Government of India vide notification No. S.O. 683 (E) dated the 24th March, 2008 and amended vide notification No. S.O. 1452 dated the 16th June, 2008, and, thus Prince Colony, Hari Nagar Extn Pt-III unauthorised colony is provisionally regularized. Block D. E&F Delhi-44

This provisional regularization certificate shall be subject to the scrutiny of the requisite documents, by the local body/ Delhi Development Authority/ GNCTD, with regard to fulfillment of conditions stipulated under the aforesaid Regulations. The unauthorised colonies fulfilling those conditions shall only be considered for final regularization.

The final boundary of the aforesaid colony would be fixed by the GNCTD only after completing all requisite formalities including those in Clause 3 of the Regulations.

By order and in the name of the Lt.
Governor of the National Capital
Territory of Delhi

RAJ KUMAR CHAUHAN
Urban Development Minister
Govt. of NCT of Delhi

(MADHUKAR)
Joint Secretary (UC)

जन समुदाय कल्याण समिति दि.प्र.

Bhagidari (R.W.A.)

Regd. Act XXI of 1860 Govt.N.C.T. Of Delhi (गैर राजनैतिक समिति)

लक्ष्यः-भागीदार समाज, सरकार समन्वय

रजि० कार्यालय : आई - 456/ 12 बी, हरिनगर विस्तार, II, जैतपुर, बदरपुर, नई दिल्ली . 110044 Mob.9555523269

E-mail:sprana56@mail.com

J.S.K.S. Estd-1998 Regd. No. S-32640

डा० एस० पी० राणा
अध्यक्ष दि.प्र.
9868945297

डी० एन० जयपुरिया
उपाध्यक्ष

डा० मेवाराम आर्य
महासचिव
9810782759

श्रीमती मन्जूवाला
सचिव

डा० मेवाराम आर्य
कोषध्यक्ष
9810782759

श्रीमती कंचन
उपाध्यक्ष (Woman cell)

श्रीमती सीमा
महासचिव (Woman cell)

ओमप्रकाश (एडवोकेट)
विधिक सलाहकार

के० के० जाना
ऑडीटर

पंत्राक J S K.S /Bhagi /RWA/2011/273 दिनांक 11/11/11

Date : ...../.....

सेवा में,

श्री कमल नाथ जी
माननीय शहरी विकास मंत्री
भारत सरकार
निर्माण भवन, नई दिल्ली।

विषयः-मास्टर प्लान 2021 में दिल्ली विकास प्राधिकरण के द्वारा हमारी कालोनी आई ब्लाक हरी नगर विस्तार बदरपुर नई दिल्ली-110044 (1082) को ओ0 जोन (Zone-O) से निकालकर एफ जोन (Zone-F) में परिवर्तित करने हेतु।

आदरणीय महोदय,

निवेदन है कि हमारी कालोनी आई-ब्लाक, हरी नगर विस्तार बदरपुर नई दिल्ली-110044 दिल्ली सरकार की 1639 अनधिकृत कालोनियों की सूची के 1082 नम्बर पर सूचीबद्ध है। दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा तैयार व लागू किया मास्टर प्लान 2021 हमारी कालोनी को ओ0 जोन (Zone-O) मे रखा गया है जो सर्वदा गलत और कालोनी वासीयों की भावनाओ के खिलाफ हैं।

माननीय उच्च न्यायालय द्वारा समय समय पर पारित आदेशो के अनुसार जोन जो जमुना का अग्रभाग/जमुना बेड या जमुना नदी की धारा से दोनो तरफ 300 मीटर के क्षेत्र में आने वाले को ही माना गया है। हमारी उक्त कालोनी जमुना नदी से तीन या चार किलो मीटर की दूरी पर हैं दिल्ली विकास प्राधिकरण ने हमारे क्षेत्र के बराबर में एफ जोन लागू किया है।

अतः आपसे हमारा विनम्र निवेदन है कि आप कृपा हमारी कालोनी को भी एफ जोन की श्रेणी में रखने हेतु उपयुक्त कार्यवाही अविलम्ब करवाने का कष्ट करे। हम आपके सदैव आभारी रहेगें।

प्रतिलिपिः -

1. माननीय उपराज्यपाल, दिल्ली
2. माननीय उपाध्यक्ष, दिल्ली विकास प्राधिकरण
3. माननीय निदेशक (योजना) एम0 पी0 आर0, दिल्ली विकास प्राधिकरण
4. माननीय आयुक्त, दिल्ली नगर निगम
5. माननीय मुख्य सचिव, शहरी विकास विभाग, दिल्ली सरकार
6. माननीय श्री रमेश कुमार, सांसद दक्षिण दिल्ली।
7. माननीय श्री रामसिंह नेताजी, विधायक बदरपुर विधानसभा क्षेत्र।

SRana

आपका अपना, 11/11/11

(प्रधान का नाम, हस्ताक्षर मोहर सहित)

Dr. S. P. RANA
President
Jan Samuday Kalyan Samiti
Regd. Bhagidari R.W.A.,
Mob. 9868945297

विकास कल्याण समिति
(मीठापुर गांव)

छोटेलाल शर्मा (अध्यक्ष)

दिनॉक 15.11.11

श्री कमलनाथ जी,
माननीय शहरी विकास मंत्री,
भारत सरकार,
निर्माण भवन, नई दिल्ली।

विषयः– मास्टर प्लान 2021 में दिल्ली विकास प्राधिकरण के द्वारा मीठापुर गांव को (Zone-O) से निकालकर (Zone-F) में डाले जाने हेतु ।

आपसे विन्रम निवेदन है कि मीठापुर गांव जो कि (मीठापुर वार्ड न0 202) बदरपुर विधानसभा नई दिल्ली–44 में है। मीठापुर गांव लगभग 100 वर्षो से भी अधिक पुराना गांव है। दिल्ली प्राधिकरण के द्वारा तैयार व लागू किया गया मास्टर प्लान 2021 में हमारे गांव को (Zone-O) में रखा गया है, जो कि पूर्ण रूप से गलत है। जोन ओ यमुना नदी का अग्रभाग / यमुना बैड या यमुना नदी की धारा से दोनो ओर 300 मी0 के क्षेत्र में आ रहे इलाके को ही माना गया है, जो कि माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा पारित आदेशो के अनूरूप है।

मीठापुर गांव यमुना नदी से लगभग 6 किलोमीटर की दूरी पर है व हम लोग यमुना नदी के किनारे या अग्रभाग पर नही बैठें है। हमारे गांव के बाद कुछ और कालोनियों है व उसके बाद हरियाणा कें गांव बसन्तपुर, ईस्मायलपुर, अगवानपुर, सेहतपुर व हरियाणा की कुछ कालोनियॉं भी आती है व उसके बाद कहीं जाकर यमुना नदी बहती है।

दिल्ली विकास प्राधिकरण ने हमारे क्षेत्र के बराबर में मोलडबन्द (वार्ड न0 204) बदरपुर (वार्ड न0 203) को एफ जोन में लागू किया है। अतः आपसे हमारा विनम्र निवेदन है कि आप कृप्या मीठापुर गांव को भी एफ जोन की श्रेणी में ही रखें। हम आपके सदैव आभारी रहेंगें।

प्रार्थी

[signature]

छोटेलाल शर्मा

प्रतिलिपः–

1. माननीय उपराज्यपाल, दिल्ली
2. श्री मती शीला दिक्षित जी (माननीया मुख्यमंत्री दिल्ली सरकार)
3. माननीय उपाध्यक्ष, दिल्ली विकास प्राधिकरण
4. माननीय निदेशक (योजना) एमपीआर दिल्ली विकास प्राधिकरण
5. माननीय आयुक्त, दिल्ली नगर निगम
6. माननीय मुख्य सचिव, शहरी विकास विभाग, दिल्ली सरकार
7. श्री रमेश कुमार माननीय सांसद दक्षिणी दिल्ली।
8. श्री रामसिंह नेताजी माननीय विधायकँ, बदरपुर विधानसभा ।

निवास : 118 मीठापुर गांव बदरपुर नई दिल्ली–44 मो.न. 09810682250

रजि0. नं0 63354

रेज़िडेन्स वेलफेयर एसोसिएशन

रजि0 ऑफिसः जी–72, सौरभ विहार, बदरपुर, नई दिल्ली–110044, मोबाईलः 9211520118

चौ० शिव राज सिंह
अध्यक्ष
9211520118

अनुप सिंह नागर
उपाध्यक्ष

द्वारका प्रसाद
महासचिव

दिनेश शर्मा
सचिव
9999987273

अरविन्द सिंह
कोषाध्यक्ष
9911160509

देव कुमार दुबे
मुख्य सदस्य
9968257315

अनिल कुमार
मुख्य सदस्य

पत्रांक — दिनांक : ....

सेवा में,

श्री कमल नाथ जी
माननीय शहरी विकास मंत्री
भारत सरकार
निर्माण भवन, नई दिल्ली।

विषयः -मास्टर प्लान 2021 में दिल्ली विकास प्राधिकरण के द्वारा हमारी कालोनी जी. ब्लाक, सौरभ विहार बदरपुर नई दिल्ली-110044 (855) को ओ0 जोन (Zone-O) से निकालकर एफ जोन (Zone-F) में परिवर्तित करने हेतु।

आदरणीय महोदय,

निवेदन है कि हमारी कालोनी G. ब्लाक सौरभ विहार बदरपुर नई दिल्ली-110044 दिल्ली सरकार 1639 अनधिकृत कालोनियॉ की सूची के 855 नम्बर पर सूचीबद्ध हैं। दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा तैयार व ल किया मास्टर प्लान 2021 हमारी कालोनी को ओ0 जोन (Zone-O) मे रखा गया है जो सर्वदा गलत और कालोनी वासी की भावनाओ के खिलाफ हैं।

माननीय उच्च न्यायालय द्वारा समय समय पर पारित आदेशो के अनुसार जोन जो जमुना का अग्रभाग/जमुना बेड जमुना नदी की धारा से दोनो तरफ 300 मीटर के क्षेत्र में आने वाले को ही माना गया हैं। हमारी उक्त कालो जमुना नदी से तीन या चार किलो मीटर की दूरी पर हैं दिल्ली विकास प्राधिकरण ने हमारे क्षेत्र के बराबर में (जोन लागू किया है।

अतः आपसे हमारा विनम्र निवेदन है कि आप कृपा हमारी कालोनी को भी एफ जोन की श्रेणी में रखने हेतु उपयुक्त कार्यवाही अविलम्ब करवाने का कष्ट करे। हम आपके सदैव अभारी रहेगें।

प्रतिलिपिः -

1. माननीय उपराज्यपाल, दिल्ली
2. माननीय उपाध्यक्ष, दिल्ली विकास प्राधिकरण
3. माननीय निदेशक (योजना) एम0 पी0 आर0, दिल्ली विकास प्राधिकरण
4. माननीय आयुक्त, दिल्ली नगर निगम
5. माननीय मुख्य सचिव, शहरी विकास विभाग, दिल्ली सरकार
6. माननीय श्री रमेश कुमार, सांसद दक्षिण दिल्ली।
7. माननीय श्री रामसिंह नेताजी, विधायक बदरपुर विधानसभा क्षेत्र।

आपका अपना,
(प्रधान का नाम, हस्ताक्षर मोहर सहित)

੧ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ॥

ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਸਿੰਘ ਸਭਾ (ਰਜਿ:)

(ਰਜਿਸਟਰਡ ਨੰ: 10217 ਮਿਤੀ 7-5-1979)

ਜੈਤਪੁਰ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ-110044

Gurdwara Sri Guru Singh Sabha (Regd.)

(Registered No. 10217 Dt. 7-5-1979)

JAIT PUR, NEW DELHI-110044

Ref. No........................ **Dated.............................**

श्री तेजेन्द्र खन्ना जी,
माननीय उपराज्यपाल महोदय,
राजनिवास, दिल्ली,
दिल्ली– 110054

विषयः– मास्टर प्लान 2021 में दिल्ली विकास प्राधिकरण के द्वारा जैतपुर गांव को गलत तरीके से ओ जोन में दर्शाने के संदर्भ में।

श्रीमानजी,

इस पत्र के द्वारा आपसे विनती करना चाहता हूँ कि दिल्ली विकास प्राधिकरण के द्वारा दिल्ली मास्टर प्लान 2021 में हमारे जैतपुर गांव को ओ जोन में दर्शाया गया हैं, जो कि गलत है। ओ–जोन का दायरा यमुना नदी की धारा से 300 मीटर तक होता है। हमारा गांव वर्ष 1947 से बसा हुआ है व हम सब लोग पाकिस्तान से विस्थापित होकर यहां आकर बसे थे व उस समय हमें भारत सरकार ने ही यहां पर बसाया था। हमारा गांव लाल डोरे का गांव है व हम लोग यमुना फन्ट या यमुना नदी के किनारे नहीं बसते हैं, अपितु हमारे बाद दिल्ली की 4–5 अनाधिकृत कालोनियाँ जो दिल्ली सरकार की 1639 अनाधिकृत कालोनियों की सूची में दर्ज है, व उसके बाद हरियाणा के ईस्मायलपुर गांव, बसन्तपुर गांव व अगवानपुर गांव आते हैं व कई कालोनियाँ व सैक्टर एरिया भी आता है उसके बाद कहीं जाकर यमुना नदी बहती है इसलिये हमारा गांव जैतपुर यमुना नदी से काफी दूर है इसीलिये हम लोग ओ जोन के दायरे में नहीं आते है।

अतः आपसे हमारा विनम्र निवेदन है कि आप कृपया हमारे जैतपुर गांव को ओ जोन से निकालकर किसी और जोन में डालने की कृपा करे। हम आपके सदैव आभारी रहेंगें।

आपका आज्ञाकारी,

(पूरन सिंह)
प्रधान

प्रतिलिपिः–

1– माननीय उपाध्यक्ष, दिल्ली विकास प्राधिकरण, विकास सदन, आई.एन.ए., नई दिल्ली।
2– माननीय निदेशक (योजना) एमपीआर दिल्ली विकास प्राधिकरण, विकास मीनार, इन्द्रप्रस्थ एस्टेट, नई दिल्ली।
3– माननीय श्री रमेश कुमार माननीय सांसद दक्षिण दिल्ली।
4– माननीय श्री रामसिंह नेताजी, विधायक, बदरपुर, नई दिल्ली।